खण्ड-321, अंक-1
सोमवार, 16 चैत्र, शक संवत् 1898
(5 अप्रैल, 1976 ई0)

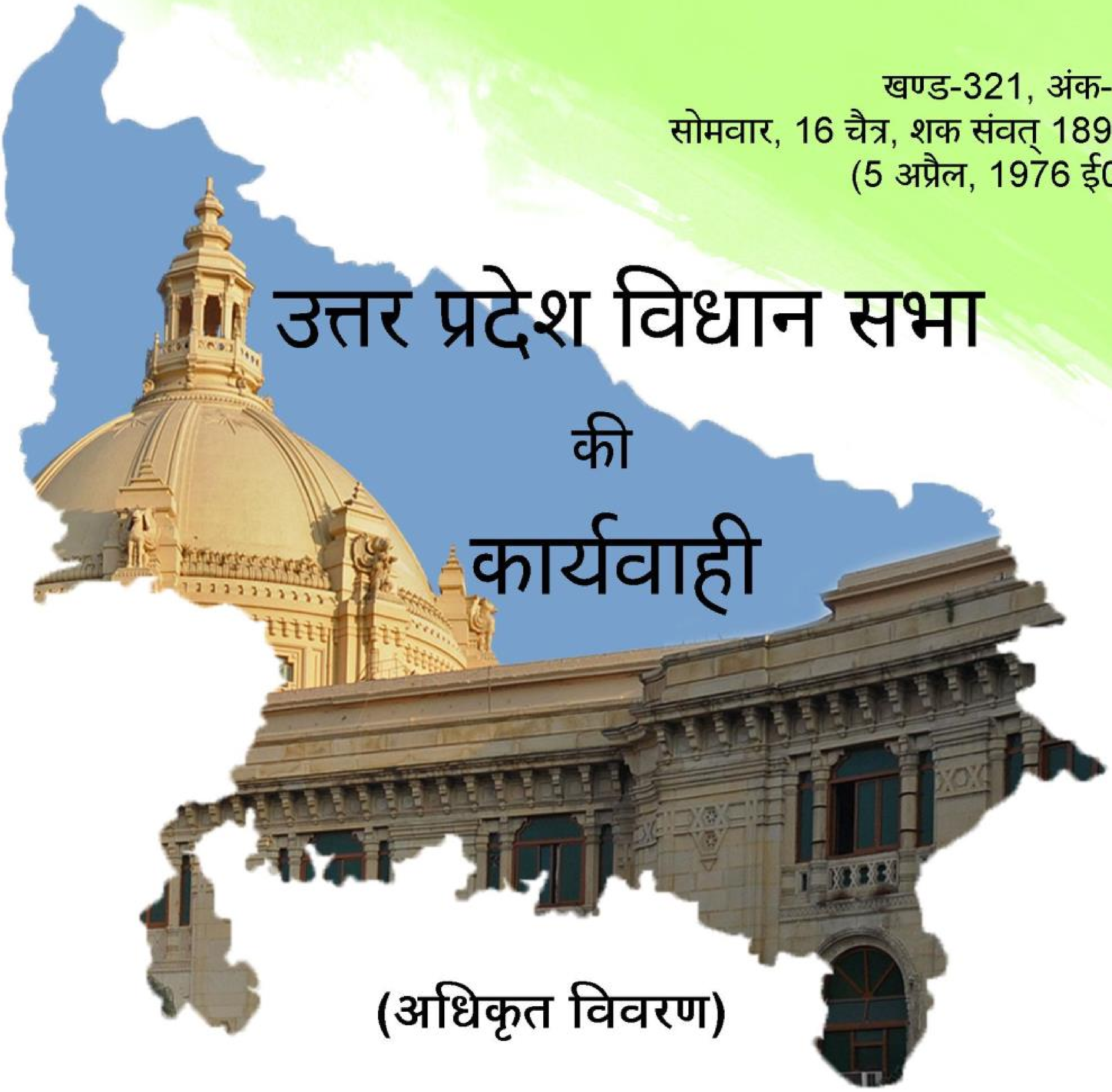

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 321 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1--4
प्रश्नोत्तर	5-39
व्यवस्था का प्रश्न	40
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	40
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	40
श्री कृष्णा राय, सदस्य विधान सभा को पैरोल पर छोड़े जाने के संबंध में सूचना	40-41
डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, सदस्य विधान सभा को कारावास के संबंध में सूचना	41
24 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य	41--42
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	42
सम्भल, मुरादाबाद में कथित साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में वक्तव्य की मांग ..	42--43
विरोध पक्ष के भाषण समाचार पत्रों द्वारा न छापे जाने के संबंध में दिये गये पत्र पर कार्यवाही न किये जाने की शिकायत	43-47
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 (विचारोपरान्त पारित)	47--53
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976 (विचारोपरान्त पारित)	54-61
नत्थियां	62-65

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 5 अप्रैल, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 4 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 246

अंगमे लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओमप्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
कबूल सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण वीर सिंह, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
खूब चन्द, श्री
खयालीराम शास्त्री, श्री
गंगा देवी बिशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोन्दि सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर, श्री

चम्पावती, श्रीमती
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (मेहानगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जय नरायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जुगुल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धर्मचन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजुराम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरूषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फजलुरहमान अन्सारी, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनी राम श्री,
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलिक मोम्म्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री

मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद आलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात हाजी, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर,श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमावन्त, कुमारी
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम जी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतिबिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
रामहर्ष चौधरी, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विद्याधर, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सलाहुद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सुखन सिंह, श्री
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री

स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुबराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्री हबीबुर्रहमान नोमानी तथा स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 5 अप्रैल, 1976

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नया सरदारी खड़ा, आलमबाग, लखनऊ निवासी श्री गया प्रसाद सिंह के घर पर हमला और अनधिकृत रूप से कब्जा

**1—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 22 मार्च, 1976 को नया सरदारी खेड़ा आलमबाग, लखनऊ के निवासी श्री गया प्रसाद सिंह के मकान पर कुछ कट्टे बन्दूक से लैस व्यक्तियों ने दिन में हमला किया और उनके मकान के एक हिस्से में अनधिकृत कब्जा कर लिया जिसकी रिपोर्ट थाने में (श्री जय प्रकाश सिंह द्वारा) लिखाई गई? यदि हां, तो आलमबाग के उस इलाके की जनता में व्याप्त भय को दूर करने तथा घटना के सम्बन्ध में अविलम्ब क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गया प्रसाद सिंह के पुत्र श्री जय प्रकाश सिंह, निवासी मकान नं0 551 छ—44, नया सरदारी खेड़ा, आलमबाग लखनऊ ने थाना कृष्णानगर पर दिनांक 22-3-1976 को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया कि श्री शारदा जी प्रार्थी के मकान का ताला जबरदस्ती तोड़ कर अपने कुछ साथियों की सहायता से सामान रख रहे हैं। इसके पूर्व श्रीमती लक्ष्मी देवी द्विवेदी पत्नी श्री शारदा प्रसाद द्विवेदी, निवासी मकान नं0 551/छ—43, नया सरदारी खेड़ा, आलमबाग ने 16—3—76 को थानाध्यक्ष, कृष्णानगर को एक शिकायती-पत्र दिया था जिसमें श्री गया प्रसाद सिंह के पुत्र जय प्रकाश सिंह के विरुद्ध अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर जाकर सामान फिकवाने और ताला डालने की धमकी देने की शिकायत की गई थी।

मामले में जांच करने पर पाया गया कि श्री गया प्रसाद सिंह अपने परिवार के साथ प्रश्नगत मकान के ऊपरी भाग में तथा श्री शारदा प्रसाद द्विवेदी अपने परिवार के साथ मकान के नीचे के भाग में रह रहे हैं। दोनों अपने को उक्त मकान का मालिक बताते हैं। प्रश्नगत मकान के विवादग्रस्त पाये गये जाने के कारण धारा 145, जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिपोर्ट दिनांक 25—3—76 को न्यायालय भेजी गई। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री गया प्रसाद सिंह के मकान पर कट्टे बन्दूक से लैस आदमियों द्वारा हमला किये जाने की बात जांच से सही नहीं पाई गई।

इस मामले के कारण क्षेत्र की जनता में किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह जो मामला है वह पुलिस और शारदा प्रसाद द्विवेदी की साजिश का मामला है। शारदा प्रसाद द्विवेदी मकान नं0—43 में रहते हैं और मकान नं0—44 में गया प्रसाद

सिंह रहते हैं। इन्होंने गवर्नमेन्ट से कर्ज लेकर मकान बनाया है। इसकी डीड उनके पास है एक कमरे में मकान मालिक रहते थे जो बुड्ढे थे, मर गये हैं। शारदा प्रसाद ने दरोगा से साजिश करके उक्त मकान पर कब्जा कर लिया। शारदा प्रसाद अपने साथ गुन्डों को लेकर आये थे।

श्री अध्यक्ष ---

जो आप कह रहे हैं उसी के बारे में न्यायालय में छान-बीन होगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा ---

मैं प्रश्न कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष ---

न्यायालय के फैसले के अनुसार होगा . . .

श्री बेनी प्रसाद वर्मा ---

मैं यह बता रहा हूं कि दरोगा ने किस तरीके से मामले को पेचीदा बना दिया है। कोई दरख्वास्त नहीं लिखाई गयी और दूसरे को जबरदस्ती कब्जा दिलाया गया। जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि शारदा प्रसाद की पत्नी, लक्ष्मी देवी ने रिपोर्ट पहले लिखाई थी, सही नहीं है, यह इसलिये किया गया ताकि उनके हक में फैसला हो। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि दरोगा ने जो जान बूझ कर दूसरे लोगों को जो कब्जा दिलवाया है, उसकी जांच मंत्री जी करवायेंगे ?

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया है, इस मामले की छानबीन हुई और यह पाया गया कि पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। दोनों के मकान विवाद-ग्रस्त होने की वजह से धारा 145 के अधीन मामले पर न्यायालय में विचार हो रहा है। जैसे ही इस मामले में फैसला हो जायेगा, वह आपके सामने आ जायेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस दिन वह घटना हुई, उसकी तुरन्त जांच की गई ?

श्री धर्मवीर---

तुरन्त जांच की गई।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिस वक्त श्री जय प्रकाश थाने में रिपोर्ट लिखाने गये। उस वक्त ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती तो गुंडे सामान उठाकर नहीं ले जाते। जो सामान उठाकर ले गये उसके संबंध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, मैंने आपसे निवेदन किया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उचित कार्यवाही की गई।

श्री जंग बहादुर वर्मा---

पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची। अगर वहां पर पहुंच गई होती तो डकैत सामान नहीं उठा ले जाते।

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, इसको दिखला लेंगे, वाकई गये या नहीं गये।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)---

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि जो कमरा विवादास्पद है, उस कमरे का सामान कुर्क कर ले गये क्या इसकी सूचना मंत्री जी को है ? आपने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, मैंने कहा कि 145 की कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं, यह मामला न्यायालय को भेज दिया गया है ।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मान्यवर, श्री गया प्रसाद जो हैं, वह हमारे सचिवालय के मुलाजिम हैं, आज सुबह मुझे भी मिले थे । मेरी निश्चित सूचना है कि आज तक पुलिस वहां गई ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

मामला न्यायालय के समक्ष गया है ।

श्री काशी नाथ मिश्र---

मेरा तो कहना है कि पुलिस आज तक घटनास्थल पर गई ही नहीं । यहां पर एक ही मकान में दो आदमी कब्जा किये हुए हैं और गुंडों द्वारा एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं । इसकी सूचना थाने में दी जाती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर कौन सी कठिनाई थी कि पुलिस वहां पर गई ही नहीं ?

श्री धर्मवीर---

मैंने निवेदन किया कि पुलिस ने छानबीन करके कार्यवाही की ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मान्यवर, पुलिस घटनास्थल पर गई ही नहीं ।

श्री धर्मवीर---

मैं इसको दिखवा लूंगा कि पुलिस गई या नहीं ।

श्री जंगबहादुर वर्मा---

पुलिस घटनास्थल पर पहुंची ही नहीं ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के कंसर्न को देखते हुए यह मुनासिब समझते हैं कि इस मामले में किसी गजटेड आफिसर से जांच करा लें, ताकि मामला तय हो जाय ।

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करते हुए कहना चाहता हूं कि इसमें 145 की कार्यवाही की गई है और न्यायालय में प्रश्न विचाराधीन है । इसलिये उसमें पुनः किसी दूसरे से जांच करवाना उचित नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

श्री जय प्रकाश जब थाने में गये तो उनकी रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की गई ? उनसे कहा गया कि दरख्वास्त दे दो । ऐसा लगता है कि इसमें थानेदार की साजिश थी । तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मवीर---

दोनों में कोई फर्क नहीं होता चाहे लिखित हो या मौखिक हो । जो भी शिकायत हो, उस पर कार्यवाही की गई ।

श्री काशी नाथ मिश्र---

मान्यवर, मैंने पहले भी सवाल किया था, मंत्री जी से पुनः कहना चाहता हूं कि पुलिस घटनास्थल पर गई या नहीं ? सचिवालय के एक मुलाजिम पुलिस में लिखित रिपोर्ट देते हैं । लेकिन पुलिस घटनास्थल पर नहीं गई ।

श्री धर्मवीर--

मैंने निवेदन किया कि इसको दिखा लेंगे कि पुलिस घटनास्थल पर गई या नहीं ।

श्री काशी नाथ मिश्र---

मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है, आपने कहा कि पुलिस गई और कभी कहते हैं कि नहीं गई, तो जो जान बूझकर मंत्री जी को गलत रिपोर्ट दी गई है, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कोई कदम मंत्री जी उठायेंगे ? पुलिस अधिकारी, उन्हें गलत सूचना देने के लिए विवश करते हैं । पुलिस ने सूचना दी है कि पुलिस घटनास्थल पर गई, तो आप जांच करायें और यदि नहीं गई है, तो क्यों नहीं गई ?

श्री धर्मवीर ---

मैंने निवेदन किया कि मामले की जांच पुलिस ने की है, कैसे की है, इसको मैं दिखवा लूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

पुलिस किस तरह के मामले में दरखवास्त लेती है और किस में रिपोर्ट दर्ज करती है?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया)

श्री सत्य प्रकाश---

जय प्रकाश सिंह रिपोर्ट दर्ज कराने गये थे तो वह जो दरखवास्त दी है, वह क्या है, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मवीर---

प्रार्थना-पत्र इनका है, आपकी सेवा में निवेदन करना है कि आज दिनांक 15-3-76 को मध्यान्ह के समय में अपनी नानी, सास एवं पुत्री सहित होली त्योहार के लिये कमरे में बैठे गुझिया बना रहे थे, मेरे पति उस समय बाजार लकड़ी लेने गये हुए थे-वगैरह वगैरह.....

श्री काशी नाथ मिश्र---

एफ0आई0आर0 क्या दर्ज हुआ है, यह बतला दें?

श्री धर्मवीर---

मेरे मकान का ताला श्री शारदा जी जबरदस्ती तोड़कर कुछ आदमियों की सहायता से रख रहे हैं, अतः इनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें ।

श्री काशी नाथ मिश्र---

इसकी दरखवास्त जो रही है, उस पर पुलिस डायरी में एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ है या नहीं, यह आप देखवा लें या यों ही दरखवास्त पड़ी हुई है ?

श्री धर्मवीर---

जब एफ0आई0आर0 दर्ज होती है, तभी 145 की कार्यवाही होती है, ऐसे नहीं ।

श्री काशी नाथ मिश्र---

किस क्राइम नम्बर पर एफ0आई0आर0 दर्ज है और किस धारा में दर्ज है, यह आप पढ़ कर बता दें ?

श्री धर्मवीर---

16-3-76 को दर्ज की गई और 25-3-76 को उस पर कार्यवाही की गई ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर और गड़बड़ मामला है, मंत्री जी ठीक से सूचना नहीं दे पा रहे हैं, इसलिये आप इसको पोस्टपोन कर दें और मंत्री जी पूरी सूचना के साथ इस पर तैयार होकर आवें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर माननीय मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि इस विषय में चर्चा का टाइम दे दें। उसकी न चिक कटी है और न उसका कोई क्राइम नम्बर ही है ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो मंत्री जी से बयान की स्वीकृति चाहते हैं । बयान स्वीकार करने का अधिकार मेरा है । इस मामले में माननीय सदस्य बहुत चिंतित हैं, इसलिये आप इसको देखें अच्छी तरह से।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल का जवाब तो इन्होंने जो कुछ दिया, वह दिया, स्थगित करने की जरूरत इसमें नहीं है । इसमें मालूम पड़ता है कि यह लखनऊ के नजदीक का मामला है । अगर पुलिस ने नियमानुसार कार्यवाही नहीं की है, तो इसको शासन को देखना चाहिये ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*1—श्री हरीश चन्द्र खण्डेलवाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*2—श्री मोती लाल देहलवी, श्री राम लाल अहिरवार तथा श्री सोहन लाल—

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 पर उत्तरित ।]

*3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल, श्री रणधीर सिंह तथा श्री जमुना प्रसाद बोस—

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर उत्तरित ।]

*4—श्री ऊदल—

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 पर उत्तरित ।]

*5—श्री शारदा प्रसाद रावत—

[पहले बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 23 पर उत्तरित ।]

अवकाश प्राप्त पार्ट टाइम सब-रजिस्ट्रारों की पेंशन व प्राविडेण्ट फण्ड

*6—श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने पार्ट टाइम सब-रजिस्ट्रार थे जिन्होंने 1972 से 31 दिसम्बर, 1974 तक अवकाश प्राप्त किया है परन्तु उन्हें पेंशन, प्राविडेंट फंड आदि का पैसा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या यह भी सही है कि उनके निवेदन पत्रों का उत्तर भी नहीं दिया जाता है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

प्रदेश में 1972 से 31-12-1974 तक निम्नांकित 6 पार्ट टाइम उप-निबंधकों ने अवकाश प्राप्त किया जिनमें से महालेखाकार ने 2 को पेंशन स्वीकृत कर दी है। शेष 4 के संबंध में कार्यवाही चल रही है। प्राविडेंट फंड से भुगतान के आदेश महालेखाकार ने अभी किसी के बारे में जारी नहीं किये हैं।

नाम	अवकाश प्राप्ति की तिथि
सर्वश्री कृपा शंकर गुप्ता ..	13-1-1972
प्रहलाद बक्श ..	2-5-1974
गुरसरन लाल	20-5-1974
मदन मोहन लाल	10-6-1974
एस0 पी0 कटियार	31-8-1974
राम दयाल वर्मा	1-12-1974

2—श्री कटियार के पेंशन कागजात जिला निबंधक, कानपुर से प्राप्त नहीं हुए। शेष के संबंध में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को निर्णय लेना है।

3—श्री मदन मोहन लाल का एक निवेदन पत्र निबंधन महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को 25-6-1975 को प्राप्त हुआ था। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश ने इनकी पेंशन भुगतान के आदेश 3-6-1975 को दिये। अतः उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझी गई। श्री प्रहलाद बक्श का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-12-1974 को निबंधन महानिरीक्षक को प्राप्त हुआ। महालेखाकार के कार्यालय से संपर्क स्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि वह श्री प्रहलाद बक्श को स्थिति से अवगत करा चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनको भी कोई उत्तर भेजना आवश्यक नहीं समझा गया। शेष चार अवकाश प्राप्त अंशकालिक उपनिबंधकों से आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

माननीय मंत्री जी की सूचना से संबंधित। माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि चार के लिए कार्यवाही की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की जा रही है और उसमें कितनी देर लगनी है?

श्री अजीजुर्रहमान—

मान्यवर, इसमें जो देर लगती है वह मालूम है। यह पिछले भुगतान का मामला है और काफी दिक्कततलब है, तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं। नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट हो, पिछले ड्यूज क्लियर हों, अगर किसी ने कर्जा लिया है तो वह क्लियर होना चाहिये। तभी पूरा भुगतान हो सकता है। बाकी 4 के बारे में स्थिति इस तरह है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

अध्यक्ष जी अगर उत्तर नहीं समझ में आयेगा तो प्रश्न किस तरह से पूछा जायेगा?

श्री बांके लाल—

यह प्रांत का दुर्भाग्य है।

श्री अजीजुर्रहमान--

पहला श्री प्रहलाद बख्श का है। इनके पेंशन के संबंध में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण करके जिला निबन्धक, सुल्तानपुर ने अपने पत्र संख्या 189, दिनांक 26 फरवरी, 1975 को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को स्वीकृति हेतु भेज दिया है। अब मामला महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के यहां निस्तारण हेतु शेष है। इनके भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि के भुगतान के संबंध में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा बार-बार उठायी गयी आपत्तियों का निस्तारण अंतिम रूप से निबन्धन महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या 2044-46 तीन-ए0421(27), दिनांक 28 जनवरी, 1976 द्वारा करके अंतिम भुगतान हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेज दिया है।

श्री जंगबहादुर वर्मा--

मान्यवर, जो मंत्री जी पढ़ रहे हैं वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है हमारी सहायता कर दें।

श्री दीप नारायण पांडेय (जिला गोंडा)--

यह बिलकुल समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अजीजुर्रहमान--

दूसरा मामला श्री गुरसरन लाल श्रीवास्तव का है। इनको प्राविजनल पेंशन व ग्रेचुटी स्वीकार कर दी गयी है तथा इनक पेंशन के कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को पेंशन व ग्रेचुटी की स्वीकृति हेतु निबन्धन महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रसंख्या 7668/तीन-ए421 (108), दिनांक 12 फरवरी, 1976 द्वारा भेज दिया गया है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त --

माननीय मंत्री जी क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अजीजुर्रहमान --

तीसरा मामला श्री मदन मोहन लाल का है। महालेखाकार ने अपने पत्र सं0 पी0 ए03 बारह बी/1918-20, दिनांक 3 जून, 1975 द्वारा उन्हें पेंशन व ग्रेचुटी भुगतान आदेश दिये हैं। भविष्य निर्वाह निधि के अंतिम भुगतान का मामला महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के ठीक कराने हेतु पड़ा है। श्री लाल के आवेदन पर उनके प्रार्थना-पत्र के आधार पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश को मिसिंग क्रेडिट्स को छोड़ते हुए उन्हें भुगतान करने हेतु लिखा गया है। इस संबंध में निबन्धक महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ने जिला निबन्धक से भी कुछ सूचना मांगी है जो प्राप्त होने पर महालेखाकार को भेज दी जायेगी।

श्री एस0 पी0 कटियार के पेंशन, ग्रेचुटी एवं जी0पी0एफ0 में जमा धनराशि के अंतिम भुगतान के कागजात जिला निबन्धक कानपुर से प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें निबन्धन महानिरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 23-7-74, 5-9-75 तथा 24-1-76 द्वारा बार-बार स्मरण कराया गया है।

श्री जंग बहादुर वर्मा--

क्या आप आल्हा पढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष —

आप तफसील में क्यों जा रहे हैं ?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क —

नये मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिये ।

श्री अजीजुर्रहमान —

श्री राम दयाल वर्मा के पेंशन संबंधी कागजात निबन्धन महानिरीक्षक के पत्र संख्या 13890/तीन ए-421-(16), दिनांक 17-9-75 द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजा जा चुका है जहां स्वीकृति प्रतीक्षित है । जी0पी0एफ0 में जमा धनराशि के अंतिम भुगतान का आवेदन-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को निबन्धन महानिरीक्षक के पत्र संख्या 5363/तीन-ए 421 (16) दिनांक 30-5-75 द्वारा भेजा जा चुका है जहां इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है ।

श्री जंग बहादुर वर्मा —

मान्यवर, यह हम लोगों की समझ में नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष —

सूत्रों का भाष्य होता है ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त —

मंत्री जी ने अभी कहा कि महालेखाकार के यहां व और जगह देर हो जाती है, नो आब्जेक्शन सर्टिफिकट आदि प्राप्त करने म, तो जो कर्मचारी रिटायर होता है क्या उसका समय निश्चित नहीं होता है ? यदि हां, तो जहां तक मेरी जानकारी है क्या सरकार के ऊपर यह उत्तरदायित्व नहीं है कि वह इन कागजात को तैयार कराये? रिटायरमेंट के बाद अल्पवेतन भोगी कर्मचारी को 2-2 और 4-4 वर्ष पेशन नहीं मिल पाती है । क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिटायर होने के पहले से कोई कार्यवाही की गई थी?

श्री अजीजुर्रहमान—

गवर्नमेंट की तो यही कोशिश होती है कि कागजात जल्द से जल्द तैयार हो जायं, लेकिन किन्हीं मजबूरियों की वजह से देरी हो जाती है जसे जो लोग कर्जा वगैरह लिये होते हैं तो उनकी किश्तों की वसूली के बारे में जिलों से तहकीकात की जाती है, जिसम वक्त लग जाता है । दूसरे जो लोग रिटायर होते हैं, उनको भी कागज तैयार करने और भेजने में देरी लगती है और यह किसी के बस की बात नहीं है ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त —

जो लोग रिटायर हुए हैं, उनमें से कितनों ने कर्जा ले रखा है ?

श्री अजीजुर्रहमान —

श्रीमन, इसके लिये सूचना की दरकार होगी ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया) —

श्रीमन, क्या विरोधी पक्ष के लोगों के ही यह प्रिविलेज है कि उनको ही आप न्याय दिला सकेंगे? क्या आप ट्रेजरी बेंचेज का अगर कोई मंत्री एम्बेरेसिंग पोजिशन में हो तो उसको भी न्याय दिया जा सकेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष------

न्याय एकांगी नहीं है, एक पक्षीय नहीं है। मंत्री जी की मैं सहायता कम कर पाता हूं इसलिए कि मंत्रीजी इस सदन के माननीय सदस्यों से चुने हुए थोड़े ही हैं। मंत्री तो ऊपर से होता है, जैसा उसकी समझ में आये, वैसा जवाब देता है। मान लीजिये अगर मैं किसी उत्तर को संतोषजनक नहीं पाता हूं, तो उसे स्थगित कर देता हूं। जहां तक हो सके, उत्तर संक्षेप में देने चाहिए, तफसील में नहीं जाना चाहिए।

श्री राम मूर्ति--

मंत्री जी ऊपर से किए जा रहे हैं, तो इसमें...

श्री अध्यक्ष---

ऊपर का मतलब गवर्नर से है। (हंसी) सरकार के गठन से नहीं, गठित से मेरा वास्ता है।

*7---श्री मंजूर अहमद---

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 पर उत्तरित।]

*8--9--श्री रघुनाथ सिंह---

[1ले बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 24 ·25 पर उत्तरित।]

प्रादेशिक पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबिलों की पदोन्नति हेतु आयोजित तथाकथित परीक्षा

*10---श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीय पुलिस विभाग में हेड कान्सटेबिलों की पदोन्नति हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या 4-30, सन् 1973 के अनुसार कोई परीक्षा गत दो वर्ष के अन्दर आयोजित की गई? यदि हां, तो क्या उसका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया? क्या यह सही है कि जो आधार उक्त पत्र में उल्लिखित था उस आधार पर परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

पुलिस मुख्यालय से ऐसा कोई पत्र निर्गत नहीं हुआ है। अतः उसके अनुसार किसी परीक्षा के आयोजित होन तथा परीक्षाफल घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के अनुसूचित जाति के पुलिस सब-इन्सपेक्टर एवं उनकी पदोन्नति

*11---श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में कुल कितने सब-इन्सपेक्टर (पुलिस) इस समय कार्यरत हैं? उसमें अनुसूचित जाति की संख्या क्या है? दस वर्ष पूर्व से सेवारत सब-इन्सपेक्टरों के पदोन्नति न होने के क्या कारण हैं?

श्री धर्मवीर--

गोरखपुर जनपद में कुल 126 सब-इन्सपेक्टर कार्यरत हैं। इनमें से 9 सब-इन्सपेक्टर अनुसूचित जाति के हैं। इन 126 सब-इन्सपेक्टरों में से 41 सब-इन्सपेक्टर 10 वर्ष से अधिक समय से सेवारत हैं। इनमें से दो इन्सपेक्टर पद के लिये अनुमोदित हो चुके हैं। जिसमें से एक अनुसूचित जाति का है, शेष सब-इन्सपेक्टर प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

श्री दयाराम भास्कर---

जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि 126 में से गोरखपुर जिले में 9 सब-इन्सपेक्टर्स अनुसूचित जाति के हैं । 18 प्रतिशत की जो बात कही गई है, वह बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती है, लेकिन यह कोटा वहां पर पूरा नहीं हुआ है । 23 के स्थान पर केवल 9 हैं । तो क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस कोटे को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है?

श्री धर्मवीर---

वर्ष 1976 तक सब-इन्सपेक्टरों का जो 18 प्रतिशत कोटा है, उसको वहां पर पूरा कर देंगे ।

श्री दयाराम भास्कर---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब आपके विभाग में पदोन्नति का मामला आता है तो हरिजनों की उपेक्षा की जाती है, और कह दिया जाता है कि उपयुक्त नहीं है यह उपयुक्त शब्द हरिजनों के लिये घातक है। क्या शासन इसको अपनी कार्यवाही से निकालन की व्यवस्था करेगा और उनको जो मिलना चाहिये वह देगा ?

श्री धर्मवीर---

जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, सेलेक्शन बोर्ड सारी चीजों को देख कर ही पदोन्नति करता है । उनकी चरित्र पंजिका देखी जाती है और तमाम चीजें होती हैं । लेकिन शासन यह निश्चित रूप से चाहता है कि हरिजनों का कोटा शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो । इस वर्ष 1976 के अन्त तक इन्स्पेक्टर के पदों का जो कोटा है उसको हम 50 प्रतिशत तक पूरा कर चुके हैं और शेष वर्ष के अन्त तक पूरा कर लेंगे ।

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर) ---

मंत्री जी कहते हैं कि एक साल के अन्दर हम 18 परसेंट कोटा पूरा कर देंगे । तो ए, बी, सी और 4थ में मेहतरों को निकालने के बाद क्या आप कोटा परा कर चुके हैं ?

श्री धर्मवीर---

यहां प्रश्न इन्सपेक्टरों का है, फोर्थ क्लास का नहीं ।

श्री काशीनाथ मिश्र ---

मेरी यह सूचना है कि 1974 से एस0 आई0 की पोस्ट के जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन से एडवरटाइजमेन्टस हुई है उनमें बराबर 18 परसेंट रखा गया है और पुलिस का कोटा तो 50 फीसदी है, पिछले सालों में । लेकिन जहां तक एफिशेन्सी का ताल्लुक है, अगर सर्विसेज में एफिसेन्सी को रखना है, तो क्या केवल जाति की व्यवस्था रखेंगे या एफिशेन्सी को तरजीह देंगे?

श्री धर्मवीर ---

यह पलिस विभाग है जिसमें अनुशासन और एफिशेन्सी का विशेष ध्यान रखा जाता है जाति के आधार पर नहीं । चूंकि शासन की नीति है इसलिये उस नीति के आधार पर हम ढूंढ़-ढूंढ़ कर जो भी एफिशेन्ट लोग मिलते हैं, उनको प्रोमोट करते जा रहे हैं । जितने लोग मिलते है उन्हीं की एफिसेन्सी देख कर पदोन्नति की जाती है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा ---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभी तक 18 फीसदी का 50 प्रतिशत कोटा पूरा हो चुका है । और शेष 50 प्रतिशत इस वष के अन्त तक पूरा कर लेंगे तो अब तक केवल 50 ही फीसदी कोटा क्यों पूरा आ इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

गोरखपुर जनपद के बारे में प्रश्न है, यह तो पूरे सूबे की बात है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

इस प्रकार के और प्रश्न हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे सम्बद्ध नहीं है। आप अलग से प्रश्न कर सकते हैं।

श्री दयाराम भास्कर--

माननीय मंत्रीजी ने कहा कि 50 प्रतिशत कोटा पूरा हो चुका है और 50 प्रतिशत शेष है। लेकिन जो इनकी रिपोर्ट आयी है उससे साफ जाहिर है कि 50 प्रतिशत कोटा भी पूरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष----

यह तो कोई प्रश्न नहीं हुआ आपकी एक विवेचना हुई।

श्री दयाराम भास्कर---

माननीय मंत्रीजी ने कहा कि 50 प्रतिशत कोटा अभी तक पूरा कर दिया गया है और जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं उसमें 50 प्रतिशत पूरा नहीं है। तो क्या इसको पूरा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इसका तो जवाब दे चुके हैं।

जिला इटावा में छात्रों पर पुलिस एवं पी० ए० सी० के सिपाहियों द्वारा निर्मम लाठी चार्ज

*12--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) तथा श्री रामलखन (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 6 जनवरी, 74 को अजीतमल जिला इटावा में छात्रों पर पुलिस एवं पी0 ए0सी0 के सिपाहियों द्वारा निर्मम लाठी चार्ज किया गया जिसमें अनेक छात्र बुरी तरह घायल हुए ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6 जनवरी, 1974 को प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई घटना नहीं हुई। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

*13--श्री धर्मवीर--

[मंत्रिपरिषद् में आ जाने के कारण हटाया गया।]

किसान इन्टर कालेज, मरहा कटया, बस्ती में गबन संबंधी थाना कप्तानगंज में अंकित रिपोर्ट

*14---श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि किसान इंटर कालेज, मरहा कटया, बस्ती के वर्तमान प्रबन्धक द्वारा भूतपूर्व, प्रबन्धक, मंत्री एवं प्रधानाचार्य पर लगभग आधा लाख रुपया गबन करने के संबंध में दिनांक 22 नवम्बर, 1974 को थाना कप्तानगंज, बस्ती में कोई रिपोर्ट

लिखाई गई थी ? यदि हां, तो आज तक उस पर कार्यवाही क्या की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर--

दिनांक 22-11-74 को श्री भगवती प्रसाद पांडे, तथाकथित प्रबन्धक, किसान इंटर कालेज,मरहा,बस्ती, निवासी ग्राम नचना, बस्ती ने थाना कप्तानगंज पर इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि कालेज के भूतपूर्व प्रबन्धक, मंत्री एवं निलंबित प्रधानाचार्य ने एक लम्बी धनराशि का गबन किया है, जिसका मुकदमा कायम कर जांच की जावे । उन्होंने रु0 34461.33 की धनराशि का विवरण भी दिया था। प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती को भी भेजी गई थी।

उक्त प्रार्थना-पत्र थाने पर प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष द्वारा जांच की गई थी । जांच से मामला विभागीय जांच योग्य पाया गया । अतः पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती से कार्यवाही हेतु अपेक्षा की गई ।

श्री श्रीनारायण--

यह 21-11-74 का मामला है, इसकी जांच में जो इतना विलम्ब हो रहा है, उसका क्या कारण है ?

श्री धर्मवीर--

चूंकि यह मामला शिक्षा विभाग से संबंधित पाया गया, अतः उसको ट्रांसफर कर दिया गया, वह उसको देख रहा है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

इस मामले में क्या कोई एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी थी और क्या कोई मुकदमा कायम हुआ था ? यदि हां, तो फाइनल रिपोर्ट क्या लगाई गयी ?

श्री धर्मवीर--

जांच के लिये एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था । जांच में यह पाया गया कि यह मामला शिक्षा विभाग से संबंधित है। अतः जिला विद्यालय निरीक्षक को जांच के लिये दे दिया गया ।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

एफ0आई0आर0 दर्ज हुई या नहीं ? आपने स्वयं जांच क्यों नहीं करायी ? विभाग को तो मैनीपुलेट करने के लिये दे दिया ।

श्री धर्मवीर --

कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी एक प्रार्थना-पत्र ही दिया गया था । जांच में मालूम यह हुआ कि वहां प्रबन्धकारिणी में दो ग्रुप हैं, जो पुराना है, उसे ही सरकार ने मान्यता दी है और वह स्कूल चला रहा है, दूसरे ने यह प्रार्थना-पत्र दिया है। अब देखने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया गया कि वह मामले को देखें ।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

इसमें पार्टी का सवाल नहीं है, न ही ग्रुप का है, मामला तो गबन का है, उसमें ग्रुप कोई हो, ऐसी सूरत में उसकी जांच तो होनी ही चाहिये । आपको पुलिस द्वारा जांच कराने में क्या आपत्ति है? यह जाहिर है कि आप उस मैनेजर को बचाना चाहते हैं। इसीलिये आपने

विभाग के सुपुर्द कर दिया है। किन कारणों से आपने उसे विभाग को भेजा है, किस तारीख को भेजा है और अब तक जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री धर्मवीर--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि उसमें रुपया का गबन का मामला है वह रुपया सही खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ, यह विभाग ही तय कर सकता है। पुलिस विभाग उसे कैसे तय करेगा। वह शिकायती-पत्र विभाग को दे दिया गया है। विभाग उस पर कार्यवाही कर रहा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

कब दिया था उसको, और तब से उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री धर्मवीर--

इसकी तिथि तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब से प्रार्थना-पत्र मिला, उस पर जांच की कार्यवाही चल रही है। प्रार्थना-पत्र 22-11-74 का उपलब्ध हो गया है।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

यह प्रार्थना-पत्र किसको दिया गया था और इस प्रार्थना-पत्र में जब गबन का स्पष्ट आरोप था तो पुलिस अधिकारी ने उस प्रार्थना-पत्र के आधार पर अपने यहां एफ0 आई0 आर0 क्यों नहीं दर्ज की ?

श्री धर्मवीर--

पुलिस ने एफ0 आई0 आर0 इसलिये दर्ज नहीं की क्योंकि उसे मालूम हो गया कि यह दो प्रबन्ध समितियों का आपसी झगड़ा है। अब कैसे साबित हो कि कौन गलत है, कौन सही है, इसलिये उसे विभाग को दिया गया।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी--

जब गबन का मामला था और उसके बारे में पुलिस को लिखित रूप में दिया गया तो पुलिस का क्या अधिकार था एफ0 आई0 लाज न करने का आखिर उसके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर क्यों नहीं किया गया ?

श्री धर्मवीर--

एफ0 आई0 आर0 लाज क्यों नहीं की गयी, इसके लिये तो मुझे सूचना की जरूरत है। लेकिन जैसे ही प्रार्थना-पत्र मिला और मालूम हुआ कि दो प्रबन्ध समितियों में आपसी झगड़ा है, तो उसे विभाग को सौंप दिया गया, ताकि इस पर जांच कर कोई कार्यवाही की जा सके।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी स्वयं एक अच्छे वकील हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस को यह अधिकार है कि लिखित रिपोर्ट मिलने पर कि यह काग्नेजिबुल आफेंस है फिर भी वह एफ0 आई0 आर0 न लाज करें ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेगी का कहना यह है कि यह गबन का संगीन अपराध था और उस पुलिस अधिकारी का यह परम कर्तव्य था कि वह इसकी रिपोर्ट दर्ज करता। उसने अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया। जो कार्यवाही की गयी, वह तो अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

श्री धर्मवीर---

रिपोर्ट लाज नहीं हुई, इसके लिये तो सूचना की जरूरत है। शिकायती-पत्र के आधार पर मैंने यह बयान दिया है।

श्री अध्यक्ष---

जब शिकायती-पत्र मिला, पुलिस को मिला तो उसका कर्तव्य था कि वह उस रिपोर्ट को दर्ज करें। इसकी जांच करने का जो काम आप कर रहे हैं, उसकी जांच कर ली जाय, फिर बतला दीजिये।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि एफ० आई० आर० लाज नहीं की गयी, यह उत्तर उन्होंने पहले ही दिया था और अब कह रहे हैं कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी, तो दोनों में कौन बात सही है ?

श्री अध्यक्ष---

इसलिये जांच की जरूरत है कि स्कूल का मामला है। साधारणतया यह बात हुआ करती है। हो सकता है कि दरख्वास्त ही फर्जी हो, कोई गबन हुआ ही न हो, तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिये। लेकिन जब रिपोर्ट हुई तो उसे दर्ज करना चाहिये था और इसलिये मैंने आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा (व्यवधान)।

श्री रामसमुझ तिवारी (जिला बस्ती)---

यह बस्ती का मामला है। मैं जानता हूं कि इसमें गबन कुछ नहीं है, दो पार्टियों का आपसी झगड़ा है। जैसा हर जगह होता है, वैसे ही झगड़ा है। कोई अबन-गबन नहीं है। बेमतलब का सवाल है।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

मान्यवर, काफी पुराना मामला है।

श्री अध्यक्ष---

उसको तो देख लेंगे, अब आगे चलते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

मान्यवर, ढाई वर्ष हो गये हैं, इतने दिनों की बात हो गयी है....

श्री जंगबहादुर वर्मा---

मान्यवर, ऐसा है कि एक पार्टी को खाने को मिल रहा है और और दूसरी पार्टी को खाने को नहीं मिल रहा है। यह चीज मंत्री जी दबा रहे हैं। दोनों मामलों की जांच होनी चाहिये।

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि प्रशासन कभी भी किसी मामले में ढील नहीं बरतेगी। जो तथ्य आप देना चाहते हैं, वह दे दीजिये। हम जांच करायेंगे विभाग की तरफ से कोई शिथिलता नहीं बरती जायगी। गबन के केस को इस्टेब्लिश करने के लिये विभाग जब देखेगा कि इतने रुपये का गबन हुआ तो पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कुछ तथ्य सामने

लायें प्रशासन उसकी जांच शिक्षा विभाग के द्वारा करायेगा। अगर शिक्षा विभाग किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो पुलिस कार्यवाही करेगी।

श्री जंगबहादुर वर्मा---

मान्यवर, मंत्री जी मेरी बात को मानकर कि गबन का जो मामला है उसकी जांच विभाग करे और जो झगड़ा है, उसकी जांच पुलिस करें यह दोनों अलग अलग मामले हैं तो क्या अलग-अलग जांच करायेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो आपने सुझाव दिया।

श्री जंगबहादुर वर्मा---

मान्यवर, अलग-अलग कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, माननीय सदस्य जानते हैं कि अगर कुर्सी या मेज वहां खरीदी गयी, उसकी रसीद नहीं है, बिल्डिंग बनी तो कितना सामान पहुंचा, या नहीं पहुंचा तो यह चीजें विभाग ही तय करेगा कि गबन हुआ है या नहीं। अगर गबन हुआ है तो पुलिस कार्यवाही करेगी।

श्री श्रीनारायण---

मान्यवर, मुझे जो सूचना है उसके अनुसार घोटाले में जिला विद्यालय निरीक्षक भी शामिल हैं। तो क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच सतर्कता विभाग से करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

तब तो 5 साल तक और कुछ नहीं होगा।

एक सदस्य---

गबन अब कुछ नहीं है। आपस का झगड़ा है।

श्री श्रीनारायण---

इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक भी शामिल है।

श्री अध्यक्ष---

यहां दो रायें हैं। कुछ लोग एक बात करते हैं। कुछ लोग दूसरी बात कहते हैं। एक बात सामान्य जानकारी की है कि स्कूल में 2. 2 मैनेजिंग कमेटी प्रायः होती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

मान्यवर, ढाई वर्ष का यह मामला हो गया है तो क्या कोई ऐसा पग उठायेंगे जिससे विभागीय जांच जल्दी से जल्दी पूरी हो जाय और कार्यवाही शुरू की जाय ?

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, आप लोगों को इतनी दिलचस्पी है तो जिला विद्यालय निरीक्षक से जाकर अपनी बात कहें। जिला विद्यालय निरीक्षक जांच करके रिपोर्ट लाज करेंगे, तभी आगे कार्यवाही होगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार ---

मान्यवर, यह तो टालने वाली बात है।

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

मेरी बिना इजाजत के प्रश्न नहीं करना चाहिये । इस पर इतने प्रश्न तो हो गये ।

ग्राम भैसा, मथुरा की ग्राम समाज की भूमि का बिरला द्वारा तथाकथित अधिग्रहण

*15---ठाकुर राधाचरण सिंह (जिला मथुरा) (अनुपस्थित) तथा श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत ग्राम भैसा, तहसील मथुरा ग्राम समाज की 18 एकड़ के लगभग चरागाह की जमीन बिरला को किसी कारखाने के लिये दी जा रही है? यदि हां, तो इस जमीन का मुआविजा किस रेट से बिरला से लिया जा रहा है और क्या सरकार तेल शोधक कारखाने द्वारा ली गयी जमीन के बराबर ही इस जमीन का भी मुआविजा दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी ---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कारागार, बस्ती के कैदियों को स्वाधीनता रजत जयन्ती के अवसर पर प्रदान की गयी छूट

*16---श्री राम रखा यादव (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 अगस्त, स्वतन्त्रता दिवस तथा 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस को सजा यापता कैदियों को मिली सजा में छूट दी जाती है? यदि हां तो बस्ती के जिला कारागार में गत तीन वर्ष में यानी 1972, 1973, 1974 में कितने लोगों को कितनी-कितनी छूट दी गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जी नहीं। केवल वर्ष 1972 में स्वाधीनता की रजत जयन्ती के अवसर पर इस राज्य के न्यायालयों द्वारा दण्डित व्यक्तियों को जिला कारागार, बस्ती में परिरुद्ध 63 बन्दियों को विशेष परिहार दिया गया था। इन बन्दियों को दिये गये विशेष परिहार की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 62-63 पर।)

[सोमवार, 5 अप्रैल, 1976 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बरेली के गांव करतोली के हरिजन जाटवों पर किये गये अत्याचार संबंधी प्रार्थना-पत्र

*1---श्री मोहम्मद रफी खां (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि बरेली जिले के थाना फतेहगंज पूर्वी के गांव करतोली के कुछ हरिजन जाटवों ने मुख्य मंत्री जी, डी० आई० जी, बरेली तथा आयुक्त रोहिल खंड मंडल व जिलाधीश बरेली को 1-5-75 से 9-9-75 की अवधि में अनेक तार व प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जिनमें उन पर हो रहे बर्बर अत्याचारों की करुण कहानी कही गई थी, प्राप्त हुये? यदि हां, तो इन हरिजन जाटव परिवारों को मदद आज तक न करने का क्या कारण है? इनकी शिकायतें क्या-क्या हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र तथा तार प्राप्त हुए थे, जिनमें थाना फतेहगंज पूर्वी के अफसर दोयम के विरुद्ध विपक्षियों से रिश्वत लेकर प्रार्थीगण की झोपड़ी तथा सामान फिकवा देने, गाली गलौज करने, अभद्र व्यवहार करने तथा प्रार्थीगण की थाने पर रिपोर्ट न लिखे जाने के आरोप लगाये गये थे। उक्त आरोपों की जांच कराई गयी तो विदित हुआ कि ग्राम कर तोली में ग्राम समाज की कुछ भूमि पर श्री शंकर लाल प्रार्थी व उसके भाइयों का कब्जा था। इस जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों को तत्कालीन परगनाधिकारी ने विपक्षीगण श्री टीका राम आदि हरिजनों को आवंटित कर दिया था। उक्त श्री टीकाराम आदि ने परगनाधिकारी से पुलिस द्वारा कब्जा दिलाने की प्रार्थना की थी, जिस पर परगनाधिकारी ने पुलिस द्वारा कब्जा दिलाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेशों के परिपालन में थाना फतेहगंज पूर्वी के अफसर दोयम ने दिनांक 5·7·75 को मौके पर जाकर विपक्षीगण को कब्जा दिला दिया और प्रार्थीगण की बटिया और घूरे हटवा दिये। पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए। तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा पुलिस की सहायता से विपक्षीगणों को भूमि पर कब्जा दिलाने के आदेश के संबंध में जिलाधिकारी, बरेली से आगामी जांच करने को कहा गया है। जांच से उक्त आदेश में यदि कोई अनियमितता पाई गई तो तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

शाहजहांपुर के गांव पैदापुर के श्री लल्लू सिंह यादव के विरुद्ध हरिजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वार थाना जलालाबाद में अंकित रिपोर्ट

*2—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली) तथा श्री शिव प्रसाद गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर जिले के थाना जलालाबाद के अन्तर्गत गांव पैदापुर के लल्लू सिंह यादव आदि के विरुद्ध 1-3-75 से 10-9-75 तक पैदापुर, बमेल व अन्य गांवों के हरिजनों, पिछड़ी जातियों व अन्य लोगों ने 21 नामजद रिपोर्ट थाना जलालाबाद में लिखाई व अनेकों तार व प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री जी व पुलिस कप्तान, शाहजहांपुर को दिये? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि पैदापुर के अनेक हरिजन गांव छोड़कर चले गये?

श्री धर्मवीर—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में थाना जलालाबाद जिला शाहजहांपुर के ग्राम पैदापुर बमेला व अन्य गांवों के हरिजनों पिछड़ी जातियों व अन्य लोगों ने लल्लू सिंह यादव आदि, ग्राम पैदापुर के विरुद्ध एक हस्तक्षेपीय तथा 11 अहस्तक्षेपीय रिपोर्ट थाना जलालाबाद पर अंकित कराईं तथा कई प्रार्थना-पत्र भी लल्लू सिंह के विरुद्ध विभिन्न अधिकारियों को भेजे। उक्त एक हस्तक्षेपीय अपराध में विवेचना के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट लगाई गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। 11 अहस्तक्षेपीय अपराधों में से 6 अपराध हरिजनों द्वारा अंकित कराये गये थे तथा शेष पांच अपराधों के वादी हरिजन नहीं थे। हरिजनों द्वारा अंकित कराए गए अपराधों में से केवल एक में ही न्यायालय से विवेचना का आदेश प्राप्त हुआ। इस मुकदमे में धारा 352/504/506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत विवेचना के उपरान्त लल्लू सिंह यादव का चालान अदालत किया गया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है। विभिन्न प्रार्थना-पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच की गयी। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर ने ग्राम में जाकर स्वयं भी जांच की। जांच से कुछ आरोपों के सही पाये जाने पर लल्लू सिंह यादव आदि 7 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107/116 दं0प्र0सं0 की रिपोर्ट दी जा चुकी है जो न्यायालय के विचाराधीन है। लल्लू सिंह यादव के शस्त्रों के लाइसेंस भी निलम्बित किये जा चुके हैं। ग्राम पैदापुर से कोई भी हरिजन गांव छोड़ कर नहीं भागा है तथा पुलिस द्वारा ग्राम पर दृष्टि रक्खी जा रही है।

*3--श्री अठई राम---

[1ले शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 33 पर उत्तरित ।]

पडरौना स्टेशन, देवरिया पर घटित घटना संबंधी अभियुक्तों को तथा कथित मारा पीटा जाना

*4--श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया थाना पडरौना की पुलिस ने 36 छात्रों को पकड़ कर दिनांक 6-9-75 को बुरी तरह से मारा पीटा तथा 24 घंटे से ऊपर एक छोटी कोठरी में बन्द रखा और अनेक यातनायें दीं, अन्त में फर्जी दफा लगाकर जिला कारागार, देवरिया भेज दिया ? क्या यह भी सही है कि श्री विष्णु देव चौरसिया नामक छात्र को कालेज के छत से नीचे गिरा दिया, जिससे उसके दोनों पैर टूट गये और वह अचेतावस्था में गोरखपुर अस्पताल में भरती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

दिनांक 6-9-75 को अपरान्ह में जी0 आर0 पी0, गोरखपुर तथा थाना पडरौना की पुलिस ने 35 छात्रों व 2 अन्य असामाजिक तत्वों को, जो 4-9-75 को पडरौना स्टेशन पर घटित घटना के बारे में थाना जी0 आर0 पी0 गोरखपुर पर दर्ज अपराध संख्या 331 धारा 147/332 भारतीय दंड विधान/धारा 120/121/127 रेलवे ऐक्ट 43 डी0 आई0 आर0 की विवेचना से प्रकाश में आये थे, गिरफ्तार किया था। इनमें से 7 अभियुक्तों को थाना पडरौना की मर्दाना हवालात में व 30 अभियुक्तों को थाने के कम्पाउन्ड में स्थित क्षेत्र निरीक्षक के रिक्त आवास गृह में बन्दी बनाकर रखा गया था। इन गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों को 7-9-75 को सुबह साढ़े छः बजे थाने से जेल के लिये रवाना कर दिया गया था। यह सही नहीं है कि इन अभियुक्तों को बन्दी बनाते समय या उसके बाद मारा पीटा गया या यातनाएं दी गई।

दिनांक 5-9-75 को उदित नारायण डिग्री व इटर कालेज पडरौना के छात्र व विष्णु-देव चौरसिया (भूतपूर्व छात्र) आपसी मतभेद के कारण दो दलों में विभक्त होकर कालेज के निचले व ऊपरी खंडों में मीटिंग कर रहे थे। दोनों पक्षों में काफी तनाव व उग्रता थी। थाना पडरौना की पुलिस गश्त करती उक्त कालेज पहुंची तो दोनों दल तितर-बितर होने लगे। श्री विष्णु देव चौरसिया जो ऊपरी मंजिल में हो रही बैठक में थे, कालेज की छतों से कूद पड़े जिससे उनके बांए पैर में चोट आई। उनका प्रारम्भिक इलाज पडरोना चिकित्सालय में हुआ। 5-9-75 को ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया के सुझाव पर उन्हें शाम को मेडिकल कालेज, गोरखपुर में भर्ती कराया गया। उस समय वे पूर्णरूप से होश में थे। 8-12-79 को वे अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए।

चूंकि इस सबध म पुलिस का कोई दोष नहीं था अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विद्यावती, निवासी भगौतीपुर, बदायूं का पुलिस के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*5--श्री शिव प्रसाद गुप्त---

क्या गृह मंत्री को पता है कि श्रीमती विद्यावती आदि निवासी भगौतीपुर थाना भूसा झाग, जिला बदायूं ने दिनांक 7-9-75 तथा 13-9-75 को मुख्य मंत्री, गृह सचिव आदि को तार देकर तथा प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 4-9-75, 13-9-75 व 18-9-75

को भेजकर बदायूं पुलिस के बर्बर अत्याचार का हाल बताया है? यदि हां, तो सरकार ने तत्काल क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मवीर---

श्रीमती विद्यावती निवासी भगौतीपुर थाना भूसा झाग, जिला बदायूं,के प्रश्न में उल्लिखित तार तथा दिनांक रहित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें आरोप लगाया गया था कि उनके लड़के ऋषिकुमार को बदायूं पुलिस अदालत व जेल से जमानत पर निकलते ही पकड़ लेती है, दिनांक 28-1-75 को उसे मजिस्ट्रेट की अदालत से पकड़ ले गयी, दिनांक 3-9-75 को जेल से जमानत से छूटने पर पकड़ लिया तथा 6 दिन हवालात में बंद रखने के बाद दिनांक 8-9-75 को फिर जेल भेज दिया। उक्त आरोपों की जांच कराई गयी तो विदित हुआ कि यह सत्य नहीं है कि दिनांक 28-1-75 को उसे मजिस्ट्रेट की अदालत से पकड़ा गया बल्कि दिनांक 28-1-75 को उक्त ऋषि कुमार को अवैध शस्त्रों को लिये हुये पकड़ा गया था जिसके संबंध में धारा 25 आर्म्स ऐक्ट में उसका चालान अदालत किया गया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है। दिनांक 3-9-75 को उक्त ऋषि कुमार, जो शातिर किस्म का सायकिल चोर है तथा जिसके विरुद्ध कई अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है को पूंछ-तांछ के लिये थाने बुलाया गया था और उसी दिन छोड़ दिया गया था। वह दिनांक-9-9-75 को एक सायकिल सहित पकड़ा गया था। इस घटना के संबंध में कायम धारा 380 भा0 द0 वि0 के मुकदमें में उसका चालान अदालत किया गया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप गलत पाये गये।

*6. श्री मोहम्मद रफी खां ---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*7--श्री शिव प्रसाद गुप्त---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

बिक्री-कर अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*8--श्री रामपति (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के बिक्री-कर अधिकारी के भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी के विरुद्ध 15 अक्तूबर, 1974 से लेकर 5 अप्रैल, 1975 तक कितने शिकायती-पत्र और किन-किन लोगों द्वारा सरकार को प्राप्त हुये हैं? शिकायतें क्या थीं और उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

तत्कालीन बिक्री-कर अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायत प्रश्नगत अवधि में प्राप्त हुई:---

1--श्री हनुमत प्रसाद मिश्र,सदस्य, नगरपालिका, बस्ती एवं जिला कांग्रेस कमेटी बस्ती का एक शिकायती-पत्र दिनांक 4-1-1975 तथा उसकी दिनांक रहित प्रतियां। इनमें आरोप लगाये गये कि तत्कालीन बिक्री-कर अधिकारी, बस्ती, जिले के बार्डर बढ़नी बाजार तथा नैपाल से अवध रूप से माल लाते थे, दुकानदारों को दबा कर सामान बिना कीमत या कम कीमत पर लेते थे, असामाजिक तत्वों के साथ शराब पीते थे, जुआ खेलते एवं अय्यासी करते थे, घूस देने वाले दुकानदारों को संरक्षण देते थे तथा न देने वालों को तंग करते थे,दुकानदारों की गाड़ियां निजी कार्य के लिये प्रयोग करते थे तथा जनता से दुर्व्यवहार करते थे।

2--श्री करतार सिंह, मालिक करतार पिक्चर पैलेस, बस्ती द्वारा प्रेषित एक शिकायती-पत्र 23-12-74 तथा 3 शिकायती-पत्र दिनांक 27-1-75 और उनकी 8 प्रतियां। इनमें कहा गया कि मुफ्त सिनेमा न दिखाने के कारण तत्कालीन बिक्री-कर अधिकारी, बस्ती शिकायतकर्त्ता से रुष्ट हो गये और परेशान करने लगे, फार्म 32 का दुरुपयोग मानकर अनुचित रूप से 2000 रुपये अर्थ दण्ड लगा दिया, शराब के ठेके का गलत सर्वेक्षण किया, तथा वर्ष 1974-75 के प्रथम व द्वितीय तिमाही के लिये खाली बोतलों की बिक्री पर गलत तरीके से 1,200 रुपये कर निर्धारित कर दिया।

3--मिश्रा मशीनरी स्टोर्स, बस्ती का शिकायती-तार दिनांक 15-3-1975, एक दिनांक हीन शिकायती-पत्र, एवं एक शिकायती-पत्र दिनांक 4-3-1975। इनमे यह आरोप लगाया गया कि तत्कालीन बिक्री-कर अधिकारी, बस्ती ने शिकायतकर्त्ता के यहां से रस्टन इन्जन और थ्रेशर खरीदा था जिसके मूल्य का भुगतान नहीं किया गया, उन पर गलत ढंग से सर्वेक्षण करके अर्थ दण्ड लगाया गया तथा उनकी गाड़ी से नेपाल से सामान लेकर अन्य जिलों को भेजा।

4- त्रिपाठी इंजीनियरिंग इम्पोरियम, बस्ती का शिकायती-पत्र दिनांक 5-3-1975। इस शिकायती-पत्र में तत्कालीन बिक्री-कर अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप लगाये गये और शिकायतकर्त्ता को तंग किये जाने की बात कही गई।

इन सभी शिकायतों पर जांच गई। जांच के आधार पर वैभागिक कार्यवाही आरम्भ करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

*9--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 25 पर स्थानान्तरित।]

ग्राम शोरा के निवासी श्री शिव कुमार द्वारा श्री राम प्रसाद मिश्रा, माल मोहर्रिर, रायबरेली के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट

*10--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के थाना कोतवाली के ग्राम शोरा के कुछ हरिजनों को तहसीलदार रायबरेली ने बुरी तरह मारा और 300 रुपया भी छीन लिया जिसकी रपट दिनांक 15-2-75 को उक्त थाने में अंकित कराई गई? यदि हां, तो रपट क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मवीर--

श्री शिव कुमार (हरिजन) निवासी ग्राम शोरा, जिला रायबरेली ने 15-2-75 को लिखी गई तथा 16-2-75 को हस्ताक्षरित रिपोर्ट, दिनांक 18-2-75 को थाना कोतवाली जिला रायबरेली पर दी जिसमें यह सूचना दी गई थी कि दिनांक 14-2-75 को सांयकाल 8 बजे के करीब जब वह रायबरेली से अपने घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में राम प्रसाद मिश्रा व सूरज सिंह तथा एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोक कर लात घूसों से मारा और उनके 300 रुपये भी छीन लिये।

वादी की इस सूचना पर थाने पर एक मुकदमा धारा 394 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज हुआ। विवेचना के उपरान्त दोनों नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र

न्यायालय भेजा गया। पुलिस द्वारा प्रयास किये जाने के बावजूद अज्ञात व्यक्ति का पता न चल सका।

अभियुक्त राम प्रसाद मिश्रा तहसीलदार के नाम से जाना जाता है परन्तु वास्तव में वह तहसीलदार, रायबरेली नहीं है बल्कि तहसील रायबरेली में माल मोहर्रिर है।

श्री अठई राम--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों के नाम से रपट दर्ज कराई गयी थी, उनका चालान हुआ कि नहीं ?

श्री धर्मवीर--

मान्यवर चालान हुआ है।

देवरिया जिले के कस्बा भाटपाररानी में सशस्त्र बल्वा

*11--श्री हरिकेवल (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना खामपार, कस्बा भाटपाररानी में अप्रैल, 1975 के अन्तिम सप्ताह में दो दलों में सशस्त्र बल्वा हुआ, जिसमें घटनास्थल पर तीन बन्दूकें जब्त हुई और दोनों दलों ने 307 दफा के अधीन मुकदमा कायम कराया ? यदि हां, तो मुकदमें में अब तक क्या हुआ और कब-कब किसका चालान किया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्री वाचस्पति कुमार सिंह निवासी ग्राम बहियारी बघेल थाना बनकटा देवरिया ने दिनांक 29-4-75 को थाना खामपार देवरिया पर धारा 147/148/307/504 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत परदीप सिंह व 5 अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विपक्ष के श्री प्रेम कुमार सिंह द्वारा इसी मामले के संबंध में थाना कोतवाली देवरिया पर दिनांक 30-4-75 को वाचस्पति कुमार सिंह तथा 13 अन्य के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की गई थी जिसके आधार पर धारा 147/148/307 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाना खामपार पर मुकदमा कायम हुआ। श्री प्रेम कुमार सिंह की रिपोर्ट में अंकित तीन व्यक्तियों की बन्दूकें मौके पर ही पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली थी। बाद में विवेचना से दर्ज कराये गये मुकदमें सत्यता से परे पाये गये और बन्दूकों का प्रयोग होना नहीं पाया गया। अतः दोनों मुकदमों में विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई और बंदूकें न्यायालय के आदेश से वापस कर दी गई।

ग्राम मुडेर, हरदोई निवासी श्रीमती नीलम की तथाकथित हत्या

*12--श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-6-75 को ग्राम मुडेर, थाना पाली, जिला हरदोई में श्रीमती नीलम, पत्नी श्री बालमुकुन्द की हत्या किये जाने के विषय में कोई शिकायत उनको प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां। इन शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी शाहाबाद द्वारा कराई गई तथा प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना पाली पर एक दरयाफ्तहाल मुकदमा अन्तर्गत धारा 302/201

भारतीय दंड विधान का दर्ज किया गया। इस मुकदमे की विवेचना तथा जांच से मृत्यु का कारण सर्प दंश पाया गया। अतः उक्त मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है।

शिकायती-पत्र की क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई जांच से पुलिस के विरुद्ध की गई शिकायत निराधार पाई गई।

*13--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

*14--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 5 वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 24 पर स्थानान्तरित।]

*15--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[विस्तृत होने के कारण निरस्त।]

ग्राम त्रिलोकपुर, बाराबंकी निवासी श्री भगवानदास जैन की हत्या

*16--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, 1975 व सितम्बर, 1975 के बीच किसी दिन बाराबंकी जिले के मसौली पुलिस क्षेत्र के ग्राम त्रिलोकपुर निवासी श्री भगवान दास जैन को उसके कर्जदारों ने गोली मार कर हत्या कर दी और उसके शव को बांकों से काट डाला? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

प्रश्न में उल्लिखित घटना से संबंधित मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

टेलीफ़ोन एक्सचेंज, बांदा के कर्मचारियों द्वारा हाइडिल डिवीजन के कर्मचारियों के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट

*17--श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कोई रिपोर्ट हिन्सात्मक कार्यवाही की बाबत दिनांक 24-9-75 को टेलीफोन एक्सचेन्ज, बांदा के किसी कर्मचारी ने हाइडिल डिवीजन, बांदा के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर आदि के खिलाफ थाना कोतवाली, बांदा में लिखाई है? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण और उसके कारण क्या है? क्या घटना से सम्बन्धित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मवीर--

जी हां।

टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों के अनुसार हाईडिल के इंस्पेक्टर श्री एस0सी0 गुप्ता सात आदमियों के साथ दिनांक 24-9-75 को ग्यारह बजे दिन टेलीफोन एक्सचेंज स्थित कार्यालय में घुसकर हाइडिल के टेलीफोन काटने की धमकी दी। उसके बाद श्री एस0सी0 गुप्ता तथा अधिशासी अभियन्ता, श्री बाजपेयी 70-80 आदमियों को लेकर टेलीफोन

एक्सचेंज में घुस गये, महानरायन राय ई0 एस0 टी0 तथा जयराम सिंह आपरेटर को मारा पीटा तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाही की ।

हाइडिल के कर्मचारियों के अनुसार, जब दिनांक 24-9-75 को करीब सवा ग्यारह बजे दिन ,श्री सुरेशचन्द्र गुप्त जूनियर इन्जीनियर को अधिशासी अभियन्ता से यह सूचना मिली कि टेलीफोन एक्सचेंज की बिजली खराब है तो हफीज, लाईन मैन गैंग के साथ वे टेलीफोन एक्सचेंज गये और मोटर का कमरा खुलवाने को कहा । इतने में टी0 आई0 तथा टेलीफोन आपरेटर ने इन्हें गलियां दी कि रोज ही बिजली बन्द करते हो । जब श्री गुप्ता ने ठीक से बात करने को कहा तो वहा उपस्थित 8 आदमियों ने उन्हें मारना प्रारम्भ किया और वे जान बचाकर भाग गये ।

दोनों ही पक्षों ने पुलिस में उसी दिन रिपोर्ट लिखाई है और दोनों मुकदमों में पुलिस जांच कर रही है ।

बिजली तथा टेलीफोन्स दोनों ही आवश्यक सर्विसेज है । दोनों विभागों का कार्य सुचारु रूप से चलते रहने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा अभी तक गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

श्री देव कुमार यादव ...

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो उत्तर दिया गया है यह बहुत भ्रामक है । स्थिति यह थी कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत टेलीफोन एक्सचेंज वालों के आदेश हुए कि जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, उनके कनेक्शंस काट दिये जायं । यह जो अधिशासी अभियन्ता हाइडिल थे, उन्होंने बावजद मांग के पेमेंट नहीं किया । टेलीफोन का कनेक्शन काट दिये जाने के बाद यह प्रतिशोध के रूप में सौ आदमियों को लेकर पहुंचे और टेलीफोन वालों को पीटा ही नहीं बल्कि कई हजार का सामान भी डैमेज किया । तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और किन-किन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया ?

श्री धर्मवीर--

जैसा कि मैंने अभी कहा बिजली तथा टेलीफोन दोनों ही आवश्यक सर्विसेज हैं । दोनों विभागो का कार्य सुचारु रूप से चलते रहना हमारे और आपके हित में है । पुलिस जांच कर रही है । मैं समझता हूं कि इसको ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है । यह आपस का झगड़ा था । स्थानीय पुलिस जांच कर रही है । जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी, कायवाही करेंगे ।

श्री एस० एन० धवन निवासी सिविल लाइन्स, कानपुर के घर में लूट

*18 ...श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)...

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर सिविल लाइन्स क्षेत्र में दिनांक 26-5-75 या उसके आसपास ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के निवास से 100 गज की दूरी पर पनकी खाद कारखाने के अधिकारी एस0एन0 धवन के फ्लैट में तीन बदमाशों ने घुसकर उनकी

नोट: ...तारांकित संख्या 17 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

पत्नी व बच्चे को पिस्तौल व चाकू दिखाकर आलमारी में रखे 10 हजार के रुपये के नकदी व जेवर लूट ले गये? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? क्या मामल की जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी --

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री एस0 एन0 धवन, निवासी 14/103 सिविल लाइन, कानपुर (जो इंडियन एक्सप्लोसिव पनकी, कानपुर में कार्यरत हैं) ने दिनांक 26·5·75 को 4.15 बजे शाम थाना ग्वालटोली पर इस आशय की रिपोर्ट दी कि उसी दिन लगभग 2 बजे पिस्तौल और चाकू से लैस तीन अज्ञात बदमाश दरवाजा खुलवा कर उनके घर में घुस गये तथा उनका टेलीफोन काट दिया और धमकी देकर पत्नी से सोने की जंजीर व चूड़ियां उतरवा ली तथा सेफ म से नगद व जेवर एवं बाहर रखी हुई घड़ियां लेकर चले गये । वादी ने 13,800 रु0 का सामान व नकद लटा जाना बताया ।

इस सबंध में धारा 392 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रारम्भ की गई । विवेचना से प्रकाश में आये एक अभियुक्त को बन्दी बनाया गया किन्तु शिनाख्त कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा न पहचाने जाने के कारण उसे धारा 169 ज0फौ0 के अन्तर्गत रिहा किया गया । शेष दो अज्ञात अभियुक्तों का कुछ पता नहीं चला, अतः मुकदमें की विवेचना अंतिम रिपोर्ट लगा कर समाप्त कर दी गई है।

यह सही नहीं है कि श्री एस0एन0 धवन का निवास स्थान ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर के निवास स्थान से 100 गज की दूरी पर है।

मुहल्ला दारागंज, इलाहाबाद स्थित दुकान से हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति का बरामद होना

*19 - श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा ---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह सितम्बर, 75 में इलाहाबाद नगर पुलिस कप्तान (श्री मैनेजर पांडेय) ने दारागंज स्थित एक मकान से चोरी गई एक सोने की हनुमान जी की मूर्ति डेढ़ फुट ऊंची, 9 कि0 200 ग्राम वजन की लगभग 10 लाख रुपये कीमत की बरामद की जिसे एक सदिग्ध अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह ने दक्षिण भारत से चुराई थी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी --

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-9-75 को मुहल्ला दारागंज, जिला इलाहाबाद में स्थित एक दुकान से थानाध्यक्ष, दारागंज द्वारा 9 कि0 200 ग्राम वजन तथा 17" (इंच) लम्बी हनुमान जी की एक मूर्ति बरामद की गई तथा कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । बरामद की गई मूर्ति अष्टधातु की बनी पायी गई तथा इसका मूल्य 1 हजार रुपया आंका गया । इस संबंध में एक मुकदमा धारा 41 411 भा0द0वि0 के अधीन थाना दारागंज पर कायम किया गया ।

विवेचना के दौरान उक्त मूर्ति का संबंध थाना जफराबाद, जिला जौनपुर पर कायम धारा 457/380 भा0 द0 वि0 के अपराध से पाया गया है । विवेचना जारी है।

विवेचना पूर्ण होने पर ही स्पष्ट हो सकेगा कि मूर्ति दक्षिण भारत या कहीं अन्यत्र से चुराई गई थी ।

*20 · श्री ऊदल---

[9वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित ।]

फर्रुखाबाद में फायर फाइटिंग स्टेशन की स्थापना की मांग

*21--श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1974 के 7 वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न सं0 47 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में फायर फाइटिंग स्टेशन की स्थापना पर सरकार कब तक निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

वित्तीय वर्ष 1976 - 77 में इसे कार्यान्वित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

*22-23---श्री काशी नाथ मेहरोत्रा--

[1ले बुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 41-42 पर उत्तरित]

*24---श्री अनवार जमील--

(4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 पर स्थानान्तरित)

ग्राम केशवापुर, बहराइच निवासी मुहम्मद इस्माइल की हत्या

*25- श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12 सितम्बर, 1975 को धारा 302 भारतीय दंड विधान की एक रिपोर्ट थाना नानपारा जनपद (बहराइच) में तीस वर्षीय मो0 इस्माइल के कत्ल किये जाने के संदर्भ में लिखाई गई है । यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

दिनांक 12-9-75 को श्री दरगाही निवासी ग्राम केशवापुर थाना नानपारा जिला बहराइच ने अपने 30 वर्षीय पुत्र मुहम्मद इस्माइल की लाश उक्त ग्राम के तालाब के किनारे पड़ी होने की लिखित सूचना थाना नानपारा में दी थी। वादी ने तीन व्यक्तियों पर मुहम्मद इस्माइल की हत्या करने का संदेह व्यक्त किया था ।

उक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा 302 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रारम्भ की गई। निरीक्षण से मुहम्मद इस्माइल की लाश पर कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई थी। पोस्टमार्टम परीक्षण तथा अब तक की विवेचना से मुहम्मद इस्माइल की मृत्यु का कारण अज्ञात रहा है । मृतक का बिसरा रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया है । रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्रतीक्षित है । उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर विवेचना पूरी की जायेगी ।

*26---श्री राम सुन्दर पांडेय -

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 पर स्थानान्तरित]।

सीमेन्ट कारखाना, चुनार के लिये अर्जित भूमि के मुआवजा का भुगतान

*27---श्री श्रीनारायण--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में निर्मित हो रहे कंजरहट चुनार सीमेंट कारखाने के लिये भूमि अर्जित की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी भूमि अर्जित की गई और इसका मुआवजा किस दर से निर्धारित किया गया है? क्या किसानों की भूमि का मुआवजा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां ।

कुल 600 बीघा 1 बिसवा 1 विस्वांसी (375.033 एकड़) भूमि अर्जित की गयी है। यह तीन मौजों में है जिसमें से एक मौजा जमुहार में अर्जित की गयी भूमि का मुआवजा निर्धारित किया जा चुका है, जो रु0 1937 प्रति बीघा की दर से है। शेष दो मौजों (बकियावाद व नुआंव) में अर्जित की गयी भूमि के अन्तिम प्रतिकर के निर्धारण हेतु कार्यवाही की जा रही है। किसानों की प्रबल मांग को देखते हुए संभावित मुआवजा की आधी राशि अर्थात् 5,95,846 रु0 का भुगतान किया जा चुका है। अंतिम प्रतिकर के निर्धारण हो जाने पर शेष धनराशि का भी भुगतान कर दिया जायेगा।

*28--श्री राम सुन्दर पांडेय--

[सतर्कता अधिष्ठान के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]।

*29--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के 1958 के नियम 28(7) के अन्तर्गत निरस्त।]

ग्राम पैदापुर, थाना जलालाबाद के कुख्यात गिरोह के विरुद्ध उक्त ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र तथा उसकी जांच

*30--श्री दधीच सिंह (जिला हरदोई)--

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद के गांव पैदापुर, बमेला तथा पिपरे आदि के अनेक हरिजन व पिछड़े वर्ग के लोगों को पैदापुर के लल्लू सिंह आदि के कुख्यात गिरोह ने इस वर्ष अत्यधिक मारा तथा सताया और पीड़ित व्यक्तियों ने अनेक तार व प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर, डी0आई0जी0, बरेली तथा मुख्य मंत्री आदि को दिनांक 1 जून, 1975 से 12 नवम्बर, 1975 तक दिये फिर भी आज तक कोई सहायता इन पीड़ित व्यक्तियों को नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पैदापुर आदि थाना जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर के हरिजनों व पिछड़े वर्ग के लोगों ने श्री लल्लू सिंह आदि, निवासीगण ग्राम पैदापुर के विरुद्ध बेगार लेने, फसलों का नुकसान करा देने व डराने धमकाने आदि के संबंध में कुछ प्रार्थना-पत्र भेजे थे जिनकी जांच की गई। जांच से कुछ शिकायतें सही पायी गई अतः उक्त लल्लू सिंह तथा 6 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 की रिपोर्ट की गई जो न्यायालय के विचाराधीन है। लल्लूसिंह के शस्त्रों के लाइसेंस निलम्बित कर दिये गये हैं।

थाना परौरा ग्राम गाजीपुर, मोहनिया, जिला शाहजहांपुर में पड़ी डकैती तथा अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

*31--श्री रेवतीरमण सिंह (जिला इलाहाबाद)--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जिले के थाना परौर में इस समय एक अहीरों का कुख्यात सशस्त्र गिरोह सक्रिय है जो जायज या नाजायज अस्लाह लेकर थाना परौर के ग्राम गाजीपुर, भरतपुर, पहुरा मोहनिया आदि में दिनांक 15 अक्तूबर, 1975 से

12 नवम्बर, 1975 तक अनेक डकैती पिछड़ी जाति के मल्लाह, तेली, हरिजनों आदि के यहां डाली ? यदि हां, तो तत्काल इन गरीब असहाय लोगों की मदद हेतु और उनकी रक्षा हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी --

प्राप्त सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि थाना परौर, जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत अहीरों का एक कुख्यात गिरोह सक्रिय है जिसने प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में पिछड़ी जाति तथा हरिजन लोगों के यहां डकैतियां डाली । प्रश्नगत अवधि में श्री दुराय तेली, ग्राम गाजीपुर मोहनिया, थाना परौर के घर में एक डकैती पड़ी जिसके संबंध में धारा 395/397 भा0दं0वि0 मुकदमा 7 ज्ञात तथा कई अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध कायम हुआ। नामांकित अभियुक्तों में से 6 अहीर तथा एक भुरजी है। विवेचना के बाद सातों नामजद अभियुक्तों का चालान अदालत किया जा चुका है । अज्ञात अभियुक्तों की तलाश जारी है। उक्त डकैती के बाद में गांव में एक सशस्त्र गार्ड गश्त हेतु तैनात कर दी गई।

थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली की पुलिस के विरुद्ध हरिजनों का प्रार्थना-पत्र

*32---श्री दधीच सिंह---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान थानाध्यक्ष फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली ने जब से थाना फतेहगंज पूर्वी में चार्ज लिया है तब से आज तक कितने प्रार्थना-पत्र हरिजनों के पुलिस जुल्मों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, बरेली को प्राप्त हुए और उनकी जांच किसने की तथा उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि के दौरान थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली की पुलिस के विरुद्ध हरिजनों के नौ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए । इन प्रार्थना पत्रों में पुलिस द्वारा हरिजनों को परेशान करने, उनके द्वारा कायम कराये गये मुकदमों पर कार्यवाही न करने, रिपोर्ट न लिखने आदि की शिकायतें की गयी थीं । इन शिकायतों की जांच संबंधित क्षेत्राधिकारियों तथा एक मामले की जांच सब-इंसपेक्टर क्राइम ने की। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

ग्राम करतोली, थाना फतेहगंज पूर्वी के श्री शंकरलाल आदि के प्रार्थना पत्रों में पुलिस के विरुद्ध उनकी झोपड़ी तथा बठिया, घूरे आदि फिकवा देने के आरोप लगाये गये थे । इस संबंध में जांच से विदित हुआ कि तत्कालीन परगनाधिकारी के आदेश से पुलिस ने विवादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण को कब्जा दिला दिया था। तत्कालीन परगनाधिकारी के उक्त आदेश के संबंध में जिलाधिकारी, बरेली से आगामी जांच करने को कहा गया है । जांच से यदि कोई अनियमितता पाई गई तो तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जेल विभाग में छटनी शुदा सहायक जेलरों का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

*33---श्री राम पति---

क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1968 से 1975 तक जो अन्य विभागों से जेल विभाग में छटनी करके सहायक जेलर के पद पर नियुक्त किये गये थे उनका अनुमोदन लोक सेवा आयोग से करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

केवल सन् 1968 में कारागार महानिरीक्षक द्वारा अन्य विभाग के 8 छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति पेड अप्रेंटिस सहायक जेलर के पद पर तदर्थ रूप से की गई थी। उक्त पद पर नियमित चयन लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाता है। उक्त व्यक्तियों ने प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के विरुद्ध प्रत्यावेदन दिये और यह मांग की कि उनका केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाय। इस पर शासन ने यह निर्णय लिया कि उनके चयन हेतु एक अर्हकारी परीक्षा कर ली जाय परन्तु लोक सेवा आयोग को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है और उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि इन व्यक्तियों को केवल आयु सीमा से छूट दे दी जाय। आयोग का प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है।

पर्वतीय जिलों में खोले गये हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेज की संख्या

*34---श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 में माह सितम्बर तक प्रत्येक पर्वतीय जिलों में कितने-कितने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कालेज खोले गये हैं? विभिन्न जिलों में संख्या किस आधार पर रखी गई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

वर्ष 1975-76 में माह सितम्बर तक पर्वतीय क्षेत्र में कुल 39 राजकीय हाई स्कूल तथा 7 राजकीय इंटर कालेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। इनका जिलेवार आवंटन संलग्न है। ये विद्यालय जिलों की आवश्यकताओं के आधार पर खोले गये हैं

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 64 पर)।

पर्वतीय क्षेत्र में शीर्षस्थ अतिरिक्त अधिकारी की नियुक्ति तथा उन पर विभाग का नियंत्रण

*35---श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास से संबंधित विभिन्न विभागों में जो शीर्षस्थ अतिरिक्त अधिकारी (अति० मुख्य अभियंता, अति० निर्देशक आदि) नियुक्त किये गये हैं उन पर पर्वतीय विकास विभाग का कोई नियंत्रण है? यदि नहीं है तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

पर्वतीय क्षेत्र में आयोजनागत योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु संबंधित विभागों में जो शीर्षस्थ अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, वे संबंधित प्रशासकीय विभागों/विभागाध्यक्षों के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। परन्तु उनकी नियुक्ति तथा स्थानान्तरण पर्वतीय विकास विभाग की पूर्व सहमति से किये जाते हैं।

जिला नैनीताल में नहरों का निर्माण तथा उनके द्वारा सिंचाई का कार्य

*36---श्री इंद्र लाल (जिला नैनीताल)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1974-75 में जिला नैनीताल की 10.5 किलोमीटर जिन नहरों का निर्माण प्रस्तावित था, ये नहरें कौन-कौन सी थी तथा क्या इनका कार्य पूर्ण हो गया? यदि हां, तो इन नहरों से कुल कितने ग्रामों की कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई का पानी उपलब्ध हुआ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष 1974–75 में जिला नैनीताल में निर्माण के लिये 10.5 किलोमीटर नहरों का निर्माण प्रस्तावित नहीं था बल्कि उस वर्ष में जिन नहरों पर निर्माण किया गया उनके नाम निम्नलिखित हैं—

1—सरना माइनर
2—नाई सिंचाई योजना
3—भुजियाघाट माइनर
4—वासली माइनर
5—सेलाखेत माइनर
6—भटलानी माइनर
7—अपर बायीं कोसी माइनर
8—लोअर बायीं कोसी माइनर
9—धारी माइनर
10—बरधी माइनर
11—बिसगुली माइनर
12—भाखड़ा फीडर

इन नहरों की कुल लम्बाई 57.2 किलोमीटर है।

उपर्युक्त नहरों में से निम्नलिखित नहरों का निर्माण कार्य फरवरी, 1976 तक पूर्ण हो चुका था:—

1—सरना माइनर
2—नाई सिंचाई योजना
3—वासली माइनर
4—सेलाखेत माइनर
5—अपर बायीं कोसी माइनर
6—लोअर बायीं कोसी माइनर
7—धारी माइनर
8—बरधी माइनर
9—भाखड़ा फीडर

निम्नलिखित दो नहरों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है:—

1—भुजियाघाट माइनर
2—भटलानी माइनर

बिसगुली नहर का निर्माण लगभग 50 प्रतिशत हो चुका है।

उपर्युक्त नहरों से वर्ष 1976 फरवरी तक 7 नहरों द्वारा सिंचाई होनी आरम्भ हो गयी है और 24 ग्रामों में 369 एकड़ वास्तविक सिंचाई हुई है।

गज्जा देव प्रयाग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

*37—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गज्जा-देव प्रयाग टिहरी-गढ़वाल मोटर मार्ग निर्माण कार्य का प्राविधान सन् 1974–75 के बजट में किया गया था? यदि हां, तो कितने किलोमीटर सड़क अब तक बनायी गयी है? यदि नहीं तो, क्यों?

R.t. 8030

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, गज्जा-देव प्रयाग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1974–75 के आय-व्ययक में प्राविधान रखा गया था। इस मार्ग के 1 से 14 किलोमीटर भाग पर कार्य चल रहा है प्रथम दो किलोमीटर में कटाई कार्य पूर्ण हो चुका है और 3 से 14 किलोमीटर भाग में पहाड़ कटाई आरम्भ कर दी गई है।

श्री वैद्य बसन्त लाल शर्मा, ग्राम ताजपुर, थाना नौगावां सादात, जिला मुरादाबाद के घर पड़ी डकैती तथा उस पर की गयी कार्यवाही

*38—हाजी मोहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम ताजपुर जवदा, थाना नौगांवा सैदात, तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद में दिसम्बर, 1975 में श्री वैद्य जी के यहां पड़ी डकैती

1350083

की रिपोर्ट उपरोक्त थाने में अंकित करायी गई थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त डकैती के पीछे के कुछ दिन बाद उनके एक मात्र पुत्र की भी हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा सरकार ने उस मामले पर अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्राप्त सूचना के अनुसार वैद्य बसन्त लाल शर्मा निवासी ग्राम ताजपुर,थाना नौगवां सादात जिला मुरादाबाद ने दिनांक 2/11/75 को अपने घर में चार नामजद तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी किये जाने की रिपोर्ट लिखाई जिसके आधार पर धारा 457/380 भा0दं0वि0 का मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के बाद नामजद अभिभुक्त का चालान अदालत किया गया । मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है ।

दिनांक 11-12-75 को उक्त वैद्य बसन्त लाल शर्मा द्वारा थाना नौगवां सादात में तीन नामजद व्यक्तियों द्वारा उनके पुत्र श्री विजयपाल को गोली मारकर घायल किये जाने की रिपोर्ट लिखायी गयी जिसके आधार पर धारा 307 भा0द0वि0 का मुकदमा कायम किया गया ।

श्री विजयपाल की मृत्यु हो जाने के कारण मुकदमा धारा 302 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया । विवेचना के बाद अभियुक्त का चालान अदालत किया गया तथा मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है ।

*39---श्री ऊदल---

[माननीय सदस्य की प्राथना पर 5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 25 पर स्थानान्तरित ।]

थानाध्यक्ष, मीरानपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध आपात स्थिति का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में आरोप

*40--श्री रामेश्वर नाथ चौबे--

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर विकास क्षेत्र व थाना जैतीपुर के प्रधान ग्राम सभा नवादा व अन्य लोगों ने एक प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को दिनांक 9 जनवरी, 1976 को भेजा जिसकी प्रतिलिपि डी0आई0 जी0, बरेली तथा आई0जी0 पुलिस, लखनऊ को भी भेजी और प्रार्थना-पत्र में आपात स्थिति का पुलिस मीरानपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर द्वारा दुरुपयोग करना व अन्याय तथा गलत कार्य करना व जनतंत्र की सबसे छोटी इकाई प्रधान का अपमान करने आदि की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो क्या पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर ने प्रधान के प्रार्थना-पत्र की सत्यता की खुद जांच की, यदि नहीं, तो क्यों और दोषी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ था । उक्त प्रार्थना-पत्र में थानाध्यक्ष, मीरानपुर, कटरा, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध आपात स्थिति का दुरुपयोग करने का सामान्य आरोप लगाया गया था और ग्राम नवादा के रामभरोसे व रजाउद्दीन का झूठा चालान करने की शिकायत की गयी थी । उक्त प्रार्थना-पत्र में पुलिस अधीक्षक शाहजांहपुर द्वारा स्वयं जांच करने की कोई प्रार्थना नहीं की गयी थी । अतः पुलिस अधीक्षक, द्वारा जांच नहीं की गयी वरन् जांच क्षेत्राधिकारी, तिलहर द्वारा की गयी । जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए तथा कोई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

आजमगढ़ जिला कारागार के अधीक्षक का निलम्बन तथा उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच

*41---श्री रामअधार (जिला आजमगढ़), श्री राजेंद्र सिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह दिसम्बर, 1975 में आजमगढ़ जिला कारागार से बंदियों को खाने वाला आलू जेल के एक उच्च अधिकारी के घर जब ले जाया जा रहा था, राजनैतिक बंदियों व एक अन्य अधिकारी ने मौके पर पकड़ लिया ? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या थी और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही किया है?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जिस घटना का माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है उसके संबंध में कोई सूचना देना जनहित में न होगा क्योंकि अधीक्षक, जिला कारागार, जो कि आजमगढ़ जिले के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी हैं, को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । शासन के उत्तर से जांच में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

*42---श्री राम अधार, श्री राजेन्द्र सिंह तथा श्री कल्याण सिंह---

[2रे सोमवार के लिए स्थगित ।]

सचिवालय में सन्दर्भ सहायक (आर० सी०) के पद का स्थायीकरण

*43---श्री रघुनाथ (जिला बलिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में 1 फरवरी, 1976 तक सन्दर्भ सहायक (आर0सी0) के कितने स्थायी पद हैं उन पर स्थायीकरण न करने के क्या कारण हैं तथा कितने समय में संदर्भ सहायक के पदों पर स्थायीकरण रुका हुआ है तथा क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

1 फरवरी, 1976 को सचिवालय में संदर्भदाता के 202 स्थायी पद थे। जिनमें से रिक्त पद केवल 129 हैं। संदर्भदाता के पदों के लिये अंतिम बार चयन वर्ष 1963 में किया गया था और उस चयन के आधार पर बनाई गई सूची से अंतिम स्थायीकरण मार्च, 1966 में किया गया था । इसके बाद अभी तक चयन करना इस कारण सम्भव नहीं हो पाया क्योंकि पहले कुछ समय तक यह प्रश्न शासन के विचाराधीन रहा कि संदर्भदाताओं का संवर्ग बनाये रखा जाय अथवा नहीं और बाद में जब वर्ष 1969 में चयन के लिये आयोग को संदर्भ भेजा गया तो उसी बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970, 6 अक्तूबर, 1970 से लागू हो गई और आयोग ने यह परामर्श दिया कि अब इस नियम के अनुसार चयन की कार्यवाही की जाय । इस नियम के अनुसार कार्यवाही जब नये सिरे से की जा रही थी तो उसी बीच शासन ने यह निर्णय लिया कि इन पदों के लिए चयन "श्रेष्ठता" के आधार पर न होकर "अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर किया जाय । अतः चुनाव के पूर्व सेवा नियमों में संशोधन करना आवश्यक हो गया । नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है ताकि चुनाव सम्पन्न कराया जा सके ।

*44---श्री मधुकर दिघे तथा श्री शारदा प्रसाद रावत---

[2रे सोमवार के लिये स्थगित]

*45-46--श्री अब्दुल रऊफ लारी--

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

सचिवालय में उर्दू अनुवादकों के सेलेक्शन में चयन-सम्बन्धी नीतियों में भिन्नता तथा शासन द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा की विशेषकार्याधिकारी (उर्दू) द्वारा जांच

*47--श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सचिवालय स्थित भाषा (उर्दू) अनुभाग में कार्य करने हेतु अनुवादकों के सेलेक्शन में चयन सम्बन्धी नीतियां प्रत्येक अवसर पर (1967 से 1974 तक) हर बार भिन्न-भिन्न अपनाई गई? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

प्रश्नगत अवधि में उर्दू अनुवादकों के पदों पर तदर्थ एवं अस्थायी नियुक्तियों के लिये वर्ष 1967, 1970 तथा 1974 में चयन किया गया था । चयन के लिये कोई निर्धारित नीति न होने के कारण नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार जो प्रक्रिया उचित समझी गई चयन के लिये अपनाई गई । वर्ष 1970 और 1974 में चयन विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया गया । वर्ष 1967 में किये गये चयन में केवल यह अन्तर था कि विभागीय परीक्षा न कर अभ्यर्थियों की अनुवाद करने की योग्यता साक्षात्कार के समय आंकी गई थी ।

*48--श्री हुबराज--

क्या यह भी सत्य है कि उर्दू अनुवादकों के चयन हेतु जुलाई/अगस्त, 1974 में एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा शासन द्वारा आयोजित की गई थी और उक्त परीक्षा में सम्मिलित किये जाने हेतु विशेष कार्याधिकारी (उर्दू) ने किसी अवर वर्ग सहायक को जो अब अनुवादक के पद पर कार्य कर रहा है उसे शैक्षिक योग्यता से छूट देने के लिए सिफारिश की थी? यदि हां, तो क्या वह अवर वर्ग सहायक विशेष कार्याधिकारी (उर्दू) का रिश्तेदार है और परीक्षार्थियों द्वारा लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी उसी अधिकारी द्वारा की गई थी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह सत्य है कि उर्दू अनुवादकों के चयन हेतु 14 जुलाई, 1974 को एक विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन किया गया था । उक्त परीक्षा में सम्मिलित किये जाने हेतु विशेष कार्याधिकारी (उर्दू) ने न तो प्रश्नगत अवर वर्ग सहायक को शैक्षिक योग्यता से छूट दिये जाने की सिफारिश की थी और न वह विशेष कार्याधिकारी का रिश्तेदार है और न ही विशेष कार्याधिकारी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ही की गई थी ।

लस्तर घाटी सिंचाई योजनान्तर्गत निर्माण कार्य की मांग

*49--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लस्तर घाटी योजना जो टिहरी-गढ़वाल के विकास खंड जखोली के लिए 1975-76 के बजट में स्वीकार की गयी थी उस पर कार्य प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो कितने किलो मीटर नहर बनी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

लस्तर घाटी सिंचाई योजना पर सेंट्रल वाटर कमीशन का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जा सकी है । अतः योजना पर कार्य आरम्भ नहीं हो सका है ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री रघुनाथ--

[6 वें गुरुवार में आतारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

मान्यता प्राप्त पम्पिग सेट तथा उनकी दर

2--श्री हरीशचन्द्र खंडेलवाल (जिला पीलीभीत)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे संस्थान अथवा निर्माता कम्पनियां कौन-कौन है जिनके बनाये गये पम्पिग सेट प्रदेश में बेचने के लिये मान्यता प्राप्त है ? उन पंपिग सेटों के नाम क्या हैं तथा उनका रेट कांट्रेक्ट क्या है?

श्री अजीजुर्रहमान--

प्रदेश में पंपिग सेट बेंचने के लिये कोई मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

डीजल पंपिग सेटों का 31-3-75 के बाद कोई दर-अनुबन्ध नहीं किया गया।

इलेक्ट्रिक पंपिग सेटों के लिये निम्नलिखित फर्मो से दर अनुबन्ध किया गया :--

1--मेसर्स भांगड़ ब्रदर्स ऐंड कं0 प्रा0लि0, 160, कालबादेवी रोड, बम्बई-2।
2--मेसर्स बाटली ब्वाय ऐंड कं0, 26/59, बिरहाना रोड, कानपुर।
3--मेसर्स मंजु इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0 लाची रोड, कोयम्बटूर।
4--मेसर्स संगम इलेक्ट्रिकल, ऐंड मैकेनिकल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0, इंडस्ट्रियल स्टेट सांगली।
5--मेसर्स टैक्सजिम ईस्टर्न इंजीनियरिंग कं0, बलिगटन होटल, लखनऊ।
6--मेसर्स बीकोलारी लि0, 27-ए, निरालानगर, लखनऊ।
7--मेसर्स क्राम्पटन ग्रीव्ज लि0, सरोजिनी नायडू मार्ग, लखनऊ 1
8--मेसर्स चन्द्रामेटल कारपोरेशन, 27 गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ।
9--मेसर्स हिन्दुस्तान डिस्ट्रिब्यूटर्स, लाटूश रोड, कानपुर।
10--मेसर्स ज्योति लि0, 21 अशोक मार्ग, लखनऊ।
11--मेसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स लि0, देवास (मध्य प्रदेश)।
12--मेसर्स ओसवाल इलेक्ट्रिकल्स, 94, इंडस्ट्रियल ऐरिया, फरीदाबाद (हरियाणा)।
13--मेसर्स रावला मशीनरी एक्सपर्टस, 19/4 प्रेमनगर, अशोक मार्ग, लखनऊ।
14--मेसर्स सोनीका एप्लायेंसेज, पी-15 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली।
15--मेसर्स उषा सेल्स लि0, कस्तूर्बा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
16--मेसर्स दि हैदराबाद, आयरन ऐंड स्टील वर्क्स लि0, फस्ट फ्लोर 42, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ।

3--श्री बृजपाल सिंह यादव--

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 पर उत्तरित।]

बरेली रेंज में नियम विरुद्ध तैनात सब- इन्सपेक्टर पुलिस तथा उनके स्थानान्तरण

4--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली रेंज में कितने सब-इन्सपेक्टर पुलिस नियम विरुद्ध 15 वर्षों से भी अधिक से इसी रेंज के जिलों में तैनात हैं और उनकी जिलानुसार संख्या व नाम क्या है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

पुलिस रेगुलेशन्स के अन्तर्गत रेंज में सब-इन्सपेक्टर की तैनाती की अवधि निर्धारित नहीं है । अतः बरेली रेंज में किसी के नियम विरुद्ध तैनात होने का प्रश्न नहीं उठता ।

5--श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या मंत्री को ज्ञात है कि बरेली में कार्यरत जिन-जिन सब-इन्सपेक्टर पुलिस के प्रशासनिक आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक डी0आई0जी0 हेडक्वार्टर द्वारा जी0आर0पी0 में स्थानान्तरण किए गए थे। वे सभी रद्द अथवा स्थगित कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

बरेली में कार्यरत 4 सब-इन्सपेक्टर पुलिस को प्रशासनिक आधार पर 1-1-73 से 31-3-74 तक स्थानान्तरित किया गया था जिनमें से तीन के स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये गये और एक का स्थानान्तरण आदेश स्थगित किया गया । प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण के आदेश निरस्त अथवा स्थगित किये गये ।

नरौरा बुलन्दशहर के कांग्रेस कैम्प में हुआ व्यय

6--श्री अठई राम--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि 22 व 23 नवम्बर, 1974 को नरौरा बुलन्दशहर के कांग्रेस कैम्प में भारत की प्रधान मंत्री तथा प्रदेश के मुख्य मंत्री आदि ने भाग लिया ? यदि हां, तो इसमें सरकार का कितना जन धन खर्च हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां ।

पर व्यय की सूचना देना जनहित में न होगा ।

7--श्री अठई राम--

(1ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 20 पर उत्तरित ।)

फर्रुखाबाद में नई कताई मिल की स्थापना पर विचार

8--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद शहर से हैन्डलूम के माल एक्सपोर्ट को ध्यान में रख कर यहां के बनकरों को सूत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहां एक सूत की मिल स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को वर्ष 1974 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां ।

प्रश्नगत प्रस्ताव उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, का र को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित कर दिया गया था कि नई कताई मिलों की स्थापना संबंध में अंतिम निर्णय लेते समय उक्त प्रस्ताव को भी दृष्टिगत रखें ।

वर्तमान में, फर्रुखाबाद में किसी नई कताई मिल को स्थापित करने का विचार नहीं है ।

प्रदेश में होमगार्ड्स को देय ड्यूटी भत्ता

9---श्री विमल प्रसाद तिवारी---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस प्रदेश में इस समय कितने होम गार्ड्स हैं तथा जब वे ड्यूटी पर बुलाये जाते हैं तो उन्हें कितनी धनराशि प्रतिदिन दी जाती है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

इस समय प्रदेश में 1,18,962 होम गार्ड्स हैं । ये होमगार्ड जब विकास क्षेत्र अथवा अपने लोकैलिटी से 8 कि0 मी0 की सीमा के भीतर ड्यूटी पर लगाये जाते हैं तो उन्हें 4 रु0 (चार रुपया) प्रतिदिन प्रति होमगार्ड्स की दर से ड्यूटी भत्ता दिया जाता है, जिसमें परिवहन व्यय भी सम्मिलित है। उक्त सीमा से परे भेजे जाने पर उन्हें रु01 प्रति होमगार्ड प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भत्ता भी देय होता है।

10-11---श्री हरिकेवल---

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17-18 पर स्थानान्तरित ।]

12---श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

13---श्री विमल प्रसाद तिवारी---

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 पर स्थानान्तरित ।]

14---श्री रामपति---

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 20 पर स्थानान्तरित]

15---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

[अभिलेख पर आधारित होने के कारण निरस्त ।]

सेवा मुक्त सब-इन्सपेक्टर, श्री मुजम्मिल हुसेन खां, जिला देवरिया की पेंशन, तथा प्राविडेन्ट फण्ड

16---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री दिनांक 17 अप्रैल, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सूचना एकत्रित करने में विलम्ब का क्या कारण था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

सूचना एकत्रित करने में बिलम्ब इस कारण से हुआ कि मामला काफी जटिल और पुराना था तथा अभिलेख सुगमतापूर्वक उपलब्ध न थे ।

घोसी जिला आजमगढ़ की सहकारी चीनी मिल के लगने का स्थान तथा सठियांव चीनी मिल में पेराई

17---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी जिला आजमगढ़ क सहकारी चीनी मिल के लगने के स्थान का निश्चय हुआ है कि नहीं और सठियांव चीनी मिल पेराई कब से प्रारम्भ करेगी?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

घोसी जिला आजमगढ़ की प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल के लगने के स्थान के संबंध में अभी निश्चय नहीं हुआ है। सठियांव की सहकारी चीनी मिल दिसम्बर, 1975 से पेराई प्रारम्भ कर चुकी है ।

18--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[5वें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 12 पर स्थानान्तरित ।]

19--श्री बाबू लाल वर्मा-

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 पर स्थानान्तरित ।]

चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में प्रशिक्षित होमगार्ड्स को प्राथमिकता

20--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में प्रशिक्षित होम गार्ड्स की भर्ती करने के लिये आरक्षण करने अथवा प्राथमिकता अन्य सेवाओं में जैसे पुलिस, वन एवं आबकारी विभाग की भांति देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक यह निर्णय होने की आशा है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह विषय शासन के विचाराधीन है ।

बद्रीनाथ मंदिर, समिति की देहरादून में ग्राम डोवालवाला तथा गोरखा रेजीमेन्ट में भूमि तथा उनसे प्राप्त किराया

21--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति की देहरादून में ग्राम डोवालवाला में तथा गोरखा रेजीमेंट के पास कितनी भूमि है तथा समिति को प्रत्येक से अलग-अलग कि कितना किराया प्रतिवर्ष मिलता है ? और यह किराया कब से मिल रहा है तथा क्या इसको बढ़ाने का विचार है? यदि हां, तो कब से?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को देहरादून में ग्राम डोवालवाला में 450 बीघा भूमि गोरखा रेजीमेंट को 1 रुपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से 450 रु0 वार्षिक लीज पर दी गई है । इस भूमि का किराया मंदिर समिति का वर्ष 1890 से मिलता है । मंदिर समिति द्वारा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि उक्त भूमि को वे रखना चाहते हों तो समिति को वर्तमान मार्केट रेट पर मुआवजा दें या जब तक गोरखा रेजीमेंट उसमें रहे तब तक वर्तमान मार्केट रेट पर किराया दिया जाय । परन्तु उक्त प्रस्ताव अभी निर्णयात्मक स्थिति पर नहीं पहुंचा है ।

उक्त भूमि के अतिरिक्त ग्राम डोवालवाला में मंदिर समिति की 85 बीघा भूमि और है जिससे मंदिर समिति को कोई किराया नहीं मिल रहा है ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री अध्यक्ष---

अभी नहीं, पहले सचिव को सुन लें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

28 और 29 की रात को....

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं । बैठ जायं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

मैं नहीं बैठूंगा । मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---

इस तरह से नहीं । अगर आप नहीं बैठते हैं तो मैं निकालने की कार्यवाही करूंगा । जब गिरफ्तारी की बात आये तो आप बेशक उठा सकते हैं, मैं रुकावट नहीं डालता ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मार्च, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 31 मार्च, 1976 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय, की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1976 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

श्री कृष्णाराय, सदस्य विधान सभा को पैरोल पर छोड़े जाने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष----

मुझे गिरफ्तारी की सूचना आपको देनी है । माननीय सदन को मुझे सूचित करना है कि जुडीशियल मैजिस्टेट, देवरिया के तार दिनांक 31 मार्च, 1976 जो सचिवालय में दिनांक

1 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री कृष्णा राय, सदस्य विधान सभा (देवरिया) दिनांक 25 मार्च, 1976 को 10 दिन के पैरोल पर जमानत पर छोड़े गये है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी आदि की सूचना बुलेटिन 8 व 19 द्वारा प्रसारित की गई थी।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, सदस्य विधान सभा के कारावास के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 31 मार्च, 1976 जो इस सचिवालय में दिनांक 2 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल सदस्य विधान सभा (सुल्तानपुर) का न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुल्तानपुर द्वारा भा0 सु0 अधिनियम की धारा 36/43 के अन्तर्गत परीक्षण किया गया। दिनांक 31 मार्च, 1976 को 10 दिन के परीक्षण के अन्तर्गत उन्हें अधिनियम की धारा 43 (1) (ए) के अन्तर्गत दोषी पाया और उन्हें 6 (छ) माह के कठोर करावास की सजा दी गई। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी आदि की सूचना बुलेटिन 15 द्वारा प्रसारित की गई थी।

24 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री श्री (धर्मवीर)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24 मार्च, 1975 को श्री सत्य प्रकाश मालवीय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद मसूद खां ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि न सिर्फ कम पेंशन ही मिलती है बल्कि पेंशन का जो आफिस है, वह दसियों साल तक पेंशन सैंक्शन ही नहीं करता और आदमी मर जाता है। तो माननीय मंत्री जी इस सिलसिले में कुछ आश्वासन देगें कि 3–4 महीनों के अन्दर ही रिटायर होने के, पेंशन मिलनी शुरू हो जायेगी और मै स्पेसिफिक सूचना दूं आपको श्री अब्दुल अजीज सन् 66 मे रिटायर हुये थे।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मेरे मोअज्जिज मेम्बर, आजमगढ़ ने जो यह बात कही है कि यह तत्वतः सही है। हमें इस बारे में खुद बहुत परेशानी है और मुझे इसका अफसोस भी है। इसका कारण यह है कि ये सारे पेंशन के कागजात जो हमारा ए0 जी0 का आफिस है वहां बनते हैं और यह हमारा नियम भी है। इस सम्बन्ध में कई बार बैठके हो चुकी है और हमने पहली अप्रैल, 1970 के सिविल सर्विस रेगुलेसन का जो चैप्टर 57 है वह भी आसान बना दिया है हमने इस बीच में 4 मार्च, 1975 को जो सारे विभागाध्यक्षों की एक मीटिंग बुलाकर हर डिपार्टमेंट में अलग पेंशन का सेल खोला है जहां डेढ़साल पहले रिटायरमेंट के पेंशन के कागजात तैयार होने शुरू हो जायेंगे कि देरी न लगे जब वह रिटायर करने लगे और कागजात तैयार रहें। डिपार्टमेंटल हेड्स को यह भी अधिकार दे दिया गया कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के तुरन्त बाद में डेथ-कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का तीन चौथाई हिस्सा और पहले 6 महीने की पेंशन का भुगतान कर लें। होता यह है कि डिपार्टमेंटल पेंशन कलकुलेशन और ए0 जी0 के कलकुलेशन में अरिकन्सीलियेशन में बहुत देर हो जाती है, तो इस बीच में यह रीकन्सीलियेशन भी हो सकेगा। आमतौर पर हमने यह कोशिश की है।

उक्त उत्तर पूरा-पूरा सही नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है "मेरे मोअज्जिज मेम्बर, आजमगढ़ ने जो यह बात कही है तत्वतःसही है हमें इस बारे मे खुद बहुत परेशानी है और मुझे इसका अफसोस भी है इसका कारण यह है कि यह सारे पेंशन के कागजात जो हमारा ए0 जी0 का आफिस है वहां बनते है। और यह हमारा नियम भी है। इस सम्बन्ध में कई बार बैठकें हो चुकी हैं। हमने पहली अप्रैल, 1970 से सिविल सर्विस रेगुलेशन का जो चैप्टर 47 है, वह भी आसान बना दिया है। हमने इस बीच में 4 जनवरी, 1975

[श्री धर्मवीर]

को ए0जी0 को बुलाकर बात की थी और 4 मार्च, 1975 को एक सर्कुलर जारी करके सारे विभागाध्यक्षों से कहा है कि हर डिपार्मेंट में कर्मचारी के रिटायरमेंट के डेढ़ साल पहले पेंशन के कागजात तैयार होने शुरू किये जाय ताकि देरी न लगे और जब कर्मचारी रिटायर करने लगे तो कागजात तैयार रहें। डिपार्टमेंटल हेड्स को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के तुरन्त बाद डेथ-कम रिटायरमेंट ग्रेज्युटी का तीन चौथाई हिस्सा और पहले 6 महीने की पेंशन का भुगतान कर सकें। होता यह है कि डिपार्टमेन्टल पेंशन कलकुलेशन और ए0 जी0 के कलकुलेशन में रीकन्सीलियेशन में बहुत देर हो जाती है। तो इस बीच में यह रिकन्सीलियेशन भी हो सकेगा। आम तौर पर हमने यह कोशिश की है।

(मूल प्रश्न तथा उससे उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 65 पर)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-----

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की दो सूचनायें मिली हैं। एक सर्वश्री गिरजा शंकर पाठक तथा रामरति बिन्द ने दी है, बनारस की ज्ञानपुर व सदर तहसीलों में क्रमशः पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में अतिवर्षण से रबी की फसल को क्षति। दूसरी श्री रामसजीवन की। बांदा जिले कि करवी मऊ एवं नरेनी तहसीलों में ओला एवं तूफान से रबी की फसल को क्षति ये दोनो कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं है। नियम 51 में दे, तो इस पर वक्तव्य दिला दिया जायगा या शासन स्वंय वक्तव्य दे देगा।

सम्भल, मुरादाबाद में कथित साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

मैं मुख्य मंत्री जी की नोटिस में सम्भल के फरके वाराना फिसाद के बारे में कुछ जरूरी बातें लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

सम्भल के उपद्रव के बारे में आपके दल के सदस्य ने आपसे पहले ही नोटिस दे रखी है उस पर शासन से अपनी ओर से बयान देने के लिये कहा जा चुका है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

वह सदस्य आज उपस्थित नहीं है। इस समय जो सिचुएशन है, उसके बारे में बतलाना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष---

आपको अगर मौका पहले दे दिया जायगा तो जिन्होंने इस नोटिस को पहले से दे रखा है, उनकी हकतल्फी हो जायगी। तरजीह उनको पहले मिलेगी, बाद में आपको भी बोलने का मौक मिलेगा। आपको इस समय उस पर बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

मौजूदा जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मुख्य मंत्री की नोटिस में दो, चार बातें लाना जरूरी हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपको लिख कर देना चाहिये था। सवाल औचित्य का है। एक मेम्बर ने पहले दिया है, पहले उसे मौका दिया जायगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मैं जेल में था, बाहर नहीं था। मैं सम्भल का मेम्बर हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपने कोताही की है। आप वहीं से भेज देते।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

31 मार्च को 4 धमाके हुये। कई आदमियों को चोटें आई। एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी हालांकि वहां की हालत बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष --

मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आपके ही दल के सदस्य ने आपसे पहले इस सम्बन्ध में नोटिस दे रखा है। वह आज हाजिर नहीं है। हाजिर होते तो दोनों को बुलाकर मौका दे देता। बहरहाल ऐसी स्थिति में आपको इस समय आज इजाजत नहीं दे सकता। आप जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है? जब वक्तव्य होगा तो आपको भी उस समय मौका मिलेगा।

विरोध पक्ष के भाषण समाचार पत्रों द्वारा न छापे जाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कार्यवाही न किये जाने की शिकायत

श्री रममूर्ति (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा मैंने 1-4-76 को एक रिप्रिजेन्टेशन दिया था उसमें यह कहा था कि जब से यह विधान सभा का सत्र शुरू हुआ है . . .

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी आज आये हैं। अभी तक बात नहीं हो पाई। चौधरी साहब भी बाहर थे और उन्होंने आपको अधिकृत किया था। जब आप कहें, रख दें। (मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुये) यह तय हुआ था कि माननीय राममूर्ति जी ने जो प्रश्न व्यवस्था का उठाया था, उस पर हमने कहा था कि नेताओं को बुलाकर मैं बात कर लूंगा। आप यहां नहीं थे तो अब जब आप कहें--आप, नेता विरोधी दल और एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हम लोग बैठकर मीटिंग कर लें।

श्री राममूर्ति --

वह तो मेरा प्रिविलेज का सवाल था। यह दूसरा है। मैंने 1-4-76 को एक दरख्वास्त दी थी और शासन से भी दरख्वास्त की थी कि जब से यह सत्र चला है, तब से इस बात की बराबर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भाषण यहां पर हों, उनको समाचार पत्रों में छपवाया जाय और आकाश वाणी से भी प्रचार के लिये जो जगह हमें मिलती थी वह भी मिलनी चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हम अपने को बेबसी और लाचारी के वातावरण में पा रहे हैं कि यह क्या आलम हो गया है। हमारे पास और क्या रास्ता है? हमारा जो संवैधानिक हक है, उसकी रक्षा नहीं हो रही है। तो हम यह समझने के लिये मजबूर है कि सरकार यह जरूरी नहीं समझती कि हम सदन की कार्यवाही

[श्री राममूर्ति]

में हिस्सा लें। जो जगह हमें मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पा रही है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि सरकार आपके प्रति बिना किसी बैमनस्य और आपके बिना डिसरिस्पैक्ट के हम इस सदन का अनिश्चित काल के लिये त्याग करें।

मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, वैसे सामान्यतः 1 अप्रैल को खत कम ही लिखे जाते हैं। उन्होंने पहली अप्रैल को खत लिखा। अब उन्होंने विषय को बताया है .....

श्री राममूर्ति—

इसीलिये मैंने 1-4-76 कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मै जानता हूं कि माननीय सदस्य, उप-नेता जो हैं, उनका अपने नेताओं पर बड़ा प्रभाव है। वे अपने नेता प्रभाव को अखिल भारतीय स्तर पर डालने की चेष्टा करें, जिससे सामान्य वातावरण हो। आज देश में जो घटनायें हो रही हैं, इस सदन में भी हुई हैं, वे बन्द हो तो बहुत सी बातों का अपने आप समाधान हो जायगा। जो बातें सदन में तय नहीं हो सकती, उनके सम्बन्ध में बार-बार चर्चा करना वे स्वयं उचित नही समझेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आपने एक बार घोषणा की थी कि 5 तारीख तक फैसला हो जाय। उसके तहत ही यह फैसला किया। ऐसी स्थिति हुई कि नेता सदन, प्रतिपक्ष के नेता से सम्पर्क व्यावहारिक न बन सका। आप सोच लीजियेगा। कल मीटिंग कर सकते हैं, आज कर सकते हैं।

श्री राममूर्ति—

हम इस वक्त अनिश्चित काल के लिये जा ही रहे हैं। मुनासिब समझें तो बुला भी सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपके व्यवस्था के प्रश्न पर मैं अभी इसी दम निर्णय दे सकता हूं, अगर आप चाहें। शिन जो व्यवस्था का उठाया गया उसको अगर हम, आप और नेता सदन की राय से कुछ तय कर जैसा कि यूनाईटेड किंगडम में स्पीकर कई दफे जो व्यवस्था देना चाहता है तो नेता सदन और प्रतिपक्ष एक राय से खड़े होते हैं कि व्यवस्था न दें और दल के नेता आप समझ लें। यह ऐसी स्थिति है कि भारत की विधि द्वारा स्थापित संस्था द्वारा कानून बना है और उस पर आप हमारी व्यवस्था चाहते हैं।

दूसरी चीज जहां तक प्रेस की आजादी का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन ने सारी अपनी गाइड लाइंस में ढिलाई कर दी है। जो रूकावटें थी शासन ने बातचीत करके उनमें ढिलाई कर दी। जो बात आप यहां करते हैं, प्रेस वाले उसे छाप सकते हैं, उस पर कोई बंदिश नहीं है। यह अलग है कि वह छापे या न छापें।

श्री शकीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

फिर वह क्यों नहीं छापते हैं?

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती है अगर वह नहीं छापते हैं। मैंने भी बहुत से भाषण दिये वह नहीं छापे जैसे एक दीक्षांत भाषण दिया था उसमें शिक्षा की नीति के बारे में कहा था वह नहीं छपा। यह उनका अधिकार है समाचार पत्रों का कितना किसका छापें इसके लिये कोई बन्धन नहीं हो सकता है। ऐच्छिक ही रहेगा।

दूसरी बात नियाज साहब ने उठाई थी कि यह गवर्नर की गैलरी है और समाचार पत्रों की गैलरी है, उसकी उपादेयता क्या है ? लेकिन जैसा मैंने एक बार कहा था समाचार पत्रों को निष्पक्ष होकर सदाशयतापूर्ण ढंग से छापने में रुकावट नहीं।

श्री राजब्रजराज सिंह (जिला खीरी)--

मैं एक निवेदन करता चाहता हूं आपने जो कहा वह ठीक है सरकार ने अनुमति दे दी और सेंसरशिप रिलीज कर दी, पर जो गाइड लाईन दे रखी है, उसके अन्तर्गत वह बाध्य है और वह जो चाहें वह नहीं छाप सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

कोई गाईड लाइन्स हमारी ओर से नहीं है, समाचार पत्र जो चाहे, छाप सकते हैं।

श्री राजब्रजराज सिंह--

वह वही छाप रहे है जिससे विपक्ष की शक्ल खराब होती है। अभी नवजीवन में सरस्वती शिशु मंदिरों के बारे में जो छपा है, जिसके बारे में एक विधेयक आया था ....।

श्री अध्यक्ष--

उसको यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री राजब्रजराज सिंह--

हम भी इसमें कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप अपने नेता से बड़े हो गये है। उन्होंने बहुत दिनों तक परिश्रम करके पुस्तकों का अध्ययन करके यह प्रश्न उठाया था। तो उस संबन्ध में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई पाबन्दी हमारे यहां से नहीं है। अगर कोई समाचार पत्र सदाशयता से कुछ भी छापें तो वह उसके लिये मुक्त है। किन्तु किसका छापेंगे यह उनके ऊपर है बहुत से अखबार जो शासक दल के हैं वह उनकी बात को छापेंगे और बहुत से अखबार आपके हैं वह उनकी बात नहीं छापेंगे और आपकी बात छापेंगे।

श्री राजब्रजराज सिंह--

हमारे अखबार बंद पड़े हैं। आजकल अखबार में जो छपता है, उसमें हमारी शक्ल को धूमिल किया जाता है। हम निवेदन करना चाहते है कि हम जो यहां कहते है उसको आप प्रकाशित करके बंटवा सकते हैं क्योंकि अखबार वाले नहीं छापते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात तो मैं भी नहीं समझता हूं कि आप क्या बोलना चाहते हैं ? आपकी आधी बात नहीं सुनाई पड़ती है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली) ...

आपने जो बात कही कि कोई रूकावट नहीं है समाचार पत्रों पर, वह उनको छाप सकता है, यह आपकी बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो कहा उसमें इस बात का उल्लेख कहीं नहीं था। उन्होंने कहा कि आजकल की परिस्थिति में यह सब सम्भव नहीं है। तो मैं आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से वह आश्वासन चाहता हूं जो आपने दिया है अभी यह बात उनके हृदय में भी है या नही ?

श्री अध्यक्ष ---

हृदयों की बात हृदय जानें ।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे वह बात प्रतिध्वनित नही होती है जो अभी आपने कहा है ।

श्री अध्यक्ष --

इसलिये तो मैंने कहा है कि आप सब लोग मेरे कक्ष में आ जायं । मुख्य मंत्री जी, राममूर्ति जी और दूसरे कुछ लोग आकर बैठकर देख ले ? मैं साफ तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि पार्लियामेन्ट को ओवरराईडिंग (over riding) करनें की शक्ति हमारी और इस सभा को नहीं है । यह मैं बिल्कुल उचित समझता हूं । पार्लियामेन्ट के किसी कानून को शिकस्त कर दें, उसके खिलाफ बहस चलवायें यह यहां नहीं हो सकता है, इसे हमें यहां देखना है । क्योंकि पार्लियामेंन्ट सर्वाधिकार सर्वसत्ता सम्पन्न संस्था है । एक सीमा में रहते हुये, उस लक्ष्मण रेखा के अन्दर रहते हुये, आप बहस चला सकते हैं । जहां आपका अधिकार है, वह अपनी जगह पर है । हर एक को, हर समाचार पत्र को आजादी है कि वह निष्पक्ष ढंग से सदाशयता पूर्ण तरीके से हर एक बात को छाप सकता है, इसमें किसी समाचार पत्र के लिये कोई बाधा नहीं है । इसके बार में मुख्यमंत्री आश्वासन दें या न दें, वह पुर्ण सदाशयता से,निष्पक्षता से सारी चीजों को संसदीय ढंग से छापें तो वह अखबार लोगों के लिये रक्षा होगी । यदि व हमारे कहने के बावजूद आपका नहीं छापते है, ऊपर का कोई कानून है, तो उस पर हमारा कोई वश नहीं है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको मुझसे कोई व्यवस्था नहीं लेनी चाहिये, क्योंकि व्यवस्था लेने से हम अपने-ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगा लेते हैं । कई बार बिना परिभाषा किये हुए हम किसी चीज को लागू रहने देना चाहते हैं ।जसे विशेषाधिकार को परिभाषित या अधिनियमित कर दिया जाय तो वह बात शायद नहीं रहेगी, जो आज है । वे जब तक परिभाषित नहीं है वे हाउस आफ कामन्स के बराबर है । कई दफा जो चीज अधिनियमित नहीं है । बिना परिभाषा के है, परम्परा के अनुसार है, तो वह आपकी ताकत और हमारा अधिकार बढ़ाती है वह आपके लिये और हमारे सबके लिये श्रेयस्कर है । अलिखित और अनिर्णीत रहना चाहिये, यह हमारे और आपके हित में है । उसको समझने के लिये मीटिंग कर रहा हूं । व्यवस्था के बारे में मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है । जिसे यूनाईटेड किंगडम के स्पीकर से कई बार लोग चाहते है कि वह अपना निर्णय देकर बांधें नहीं उसी तरह मैं उसको उन्मुक्त रखना चाहता हूं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क ---

उनका छापें तो हमारा भी छापे ,हमारे कहने का मतलब केवल इतना है ।

श्री राममूर्ति ---

आपकी शुभकामनायें ,हमारी सरकार की मजबूरियां और हम लोगों का निवेदन इन सबका समन्वय करते हुये एक चीज निकलती है कि अब हमको यहां से जाना चाहिये ।

(श्री राममूर्ति अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष --

यह आपका दृष्टिकोण है , इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं ।

श्री सत्यप्रकाश (जिला बरेली):---

मान्यवर, दृष्टिकोण की बात नहीं । वास्तविकता यह है कि अखबार वाले हमारा कुछ छापते नहीं, उनके आगे बड़े बंधन है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, इनसे आप यह पूछ लीजिये, यह मारेल क्वेश्चन है, यह दस्तखत करेंगे या गैर हाजिर होते हुये बिना दस्तखत किये हुये रहेंगे।

श्री अध्यक्ष---

आप उनकी मदद क्यों नहीं करना चाहते है ? यह इनका पहला मर्तबा है। यह पहला त्याग या वाक आउट है, जो इन्होंने घोषित करके किया। अब इसका परिणाम जो नियम कानून में होगा, उसको सचिवालय देखेगा, जो हमारे अधीन सचिवालय है, जो हमारी आपकी सेवा के लिये है जिसे आप धनराशि उपलब्ध कराते हैं। यह उसका काम है, वह देखेगा कि सवाल करके क्या लाभ हुआ ?

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976

आबकारी राज्यमंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1972 को, जिसे उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा स्थापित किया गया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य विधान मण्डल की सक्षमता के बाहर निर्णीत राज्य विधान मंडल को किया था, किन्तु उच्चतम न्यायालय ने बाद में एक अन्य मामले में इस बात की पुस्टि की विदेशी शराब रखने और बेचने का अधिकार या विशेषाधिकार देने के लिये सार्वजनिक नीलाम करने के लिये उपबन्ध बनाने की शक्ति है। मान्यवर, जैसे देशी शराब की दूकानें जो हैं वह नीलाम द्वारा दी जाती हैं, सरकार चाहती है, कि विदेशी शराब की दूकानें जो है उनकी भी नीलामी की जाय जिससे किसी प्रकार के पक्षपात की बात न पैदा हो। मान्यवर, जो एकबार लाइसेंस ले लिये हैं उनकी मोनोपोली जैसे हो गयी है, इस बात को दूर करने के लिये यह भी जरूरी था कि इसको नीलाम के द्वारा दिया जाय। मान्यवर, इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

*1 अप्रैल, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1972 का पुनः अधिनियमन

2—उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 एतद्द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 1972 से निरसित और इस परिष्कार के साथ पुनः अधिनियमित किया जाता है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 24—क में, जैसी कि वह 1972 के उक्त अधिनियम द्वारा बढ़ायी गयी है, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(1) धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आबकारी आयुक्त, किसी व्यक्ति को, किसी क्षेत्र में—

(क) थोक या फुटकर विक्रेता को, थोक बिक्री द्वारा, या

(ख) दुकानों पर (केवल भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिए) फुटकर बिक्री द्वारा,

विदेशी शराब बेचने के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस या लाइसेंसों को स्वीकृत कर सकता है।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"2—उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1972 एतद्द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 1972 से निरसित और निम्नलिखित परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित किया जाता है :—

(i) धारा 1 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय :—

"(2) इसे संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रारम्भ के समय से प्रवृत समझा जायगा, और तदनुसार, 26 जनवरी, 1950 के पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में, इस अधिनियम द्वारा उस अधिनियम में किये गये संशोधनों में राज्य सरकार के प्रति समस्त निर्देशों का अर्थ प्रान्तीय सरकार के प्रति निर्देश से लगाया जायगा।"

(ii) धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी :—

"3—मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

नई धारा 24—क और 24—ख का बढ़ाया जाना

"24—क—(1) धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में किसी विदेशी शराब का...

(क) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों ही के लिये, या

(ख) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों ही के लिए और फुटकर बिक्री के लिए, या

(ग) थोक या फुटकर विक्रेताओं को थोक विक्रेता द्वारा बिक्री के लिए, या

(घ) दुकानों पर (केवल भू-गृहादि के बाहर उपभोगार्थ) फुटकर बिक्री के लिए,

एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिए लाइसेन्स या लाइसेन्सों को स्वीकृत कर सकता है ।

(2) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कोई लाइसेंस या लाइसेंसों के स्वीकृत किए जाने से उसी क्षेत्र में होटलों और रेस्ट्रां में उनके ही भूगहादि में उपभोग के निमित्त विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेन्स के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) जहां उसी अवधि के लिये किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन एक से अधिक लाइसेंस स्वीकृत करने का प्रस्ताव हो वहां प्रत्येक ऐसे लाइसेन्स के लिये भावी प्रार्थियों को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना दी जायेगी ।

(4) इस धारा के अधीन एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिय लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में धारा 25 और धारा 39 के प्रतिबन्धात्मक खंड के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 24 के अधीन एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये कोई लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

शंकाओं का निवारण

24-ख--शंकाओं के निवारण के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि ----

(क) राज्य सरकार को देशी शराब के और विदेशी शराब के निर्माण और विक्रय का एकान्तिक अधिकार या विशेषाधिकार है ;

(ख) धारा 41 के खंड (ग) में लाइसेंस फीस के रूप में वर्णित धनराशि, राज्य सरकार द्वारा ऐसा अधिकार या विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के लिये वास्तव में किराया या प्रतिफल है ;

(ग) राज्य के आबकारी विभाग के अध्यक्ष के रूप में आबकारी आयुक्त को ऐसी फीस अवधारित या वसूल करते समय, राज्य सरकार की ओर से और के लिये कार्य करने वाला समझा जायगा"

(iii) धारा 3 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी :--

धारा 30 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

3----क---मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात--

"30----(1) इस अध्याय के अधीन लगाये जानें वाले किसी उत्पाद शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त, राज्य सरकार या उसकी ओर से आबकारी आयुक्त धारा 24 या धारा 24-क के अधीन किसी एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस दिय जान क प्रतिफलस्वरूप किसी राशि का भुगतान स्वीकार कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय राशियां तो नीलाम द्वारा या टेन्डर आमंत्रित करके या अन्य प्रकार से अवधारित की जा सकती है । ";

धारा 41क। संशोधन

(iv) धारा 4 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी : ---

"4----क---मूल अधिनियम की धारा 41 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा और सदैव से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात----

" (ग) किसी मादक वस्तु क किसी लाइसेंस, परमिट या पास के लिये जिसमें धारा 24 या धारा 24--क के अधीन किसी एकान्तिक

या अन्य विशेषाधिकार के लिये दिया गया कोई प्रतिफल भी सम्मिलित है, या उसके भंडारकरण के लिये देय फीस का मापमान या उसे निश्चित करने की रीति विहित करना ;

स्पष्टीकरण ....(1) विभिन्न वर्गों के लाइसेंस, परमिट, पास या भंडारकरण के लिये, और विभिन्न क्षेत्रों के लिये इस उपखंड के अधीन फीस विभिन्न दरों पर विहित की जा सकती है ।

(2) फीस या प्रतिफल निश्चित करने की रीति में नीलाम या टेन्डर आमंत्रित करना या दोनों सम्मिलित होंगे ।"

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मुझे स्वीकार है ।

अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय:---

"2---उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1972 एतद्द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 1972 से निरसित और निम्नलिखित परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित किया जाता है :--

(i) धारा 1 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी : --

" (2) इसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रारम्भ के समय से प्रवृत्त समझा जायगा, और तद्नुसार 26 जनवरी, 1950 के पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में, इस अधिनियम द्वारा उस अधिनियम में किये गये संशोधनों में राज्य सरकार के प्रति समस्त निर्देशों का अर्थ प्रान्तीय सरकार के प्रति निर्देश से लगाया जायगा" ।

(ii) धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायगी :--

नई धारा 24-क और 24-ख का बढ़ाया जाना

"3--- मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जावेगी, अर्थात--

"24-क---(1) धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में किसी विदेशी शराब का--

(क) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों ही के लिए, या

(ख) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों ही के लिए और फुटकर बिक्री के लिए, या

(ग) थोक या फुटकर विक्रेताओं को थोक विक्रेता द्वारा बिक्री के लिए, या

(घ) दुकानों पर (केवल भू-गृहादि के बाहर उपभोगार्थ) फुटकर बिक्री के लिए,

एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस या लाइसेंसों को स्वीकृत कर सकता है ।

(2) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन कोई लाइसेन्स या लाइसेंसों के स्वीकृत किए जाने से उसी क्षेत्र में होटलों और रेस्ट्रां में उनके ही भू-गृहादि में उपभोग के निमित्त विदेशी शराब की फुटकर

बिक्री के लिए लाइसेंस के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) जहां उसी अवधि के लिए किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन एक से अधिक लाइसेंस स्वीकृत करने का प्रस्ताव हो वहां प्रत्येक ऐसे लाइसेंस के लिये भावी प्रार्थियों को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना दी जाएगी ।

(4) इस धारा के अधीन एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में धारा 25 और धारा 39 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 24 के अधीन एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए कोई लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

शंकाओं का निवारण

"24 · ख·· शंकाओं के निवारण के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि ···

(क) राज्य सरकार को देशी शराब और विदेशी शराब के निर्माण और विक्रय का एकान्तिक अधिकार या विशेषाधिकार है;

(ख) धारा 41 के खण्ड (ग) में लाइसेंस फीस के रूप में वर्णित धनराशि, राज्य सरकार द्वारा ऐसा अधिकार या विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के लिए वास्तव में किराया या प्रतिफल है;

(ग) राज्य के आबकारी विभाग के अध्यक्ष के रुप में आबकारी आयुक्त को ऐसी फीस अवधारित या वसूल करते समय, राज्य सरकार की ओर से और के लिए कार्य करने वाला समझा जायगा ":

(iii) धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी :—

धारा 30 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

"3—क —मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"30 —(1) इस अध्याय के अधीन लगाये जाने वाले किसी उत्पाद शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त, राज्य सरकार या उसकी ओर से आबकारी आयुक्त धारा 24 या धारा 24—क के अधीन किसी एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस दिये जाने के प्रतिफल स्वरूप किसी राशि का भुगतान स्वीकार कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय राशि या तो नीलाम द्वारा या टेंडर आमंत्रित करके या अन्य प्रकार से अवधारित की जा सकती है ।"

(iv) धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी: —

धारा 41 का संशोधन

"4—क —मूल अधिनियम की धारा 41 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा; अर्थात्—

"(ग) किसी मादक वस्तु के किसी लाइसेंस, परमिट या पास के लिये जिसमें धारा 24 या धारा 24—क के अधीन किसी एकान्तिक

या अन्य विशेषाधिकार के लिये दिया गया कोई प्रतिफल भी सम्मिलित है, या उसके भंडारकरण के लिये देय फीस का माप-मान या उसे निश्चित करने की रीति विहित करना;

स्पष्टीकरण—(1) विभिन्न वर्गों के लाइसेंस, परमिट, पास या भण्डार-करण के लिये, और विभिन्न क्षेत्रों के लिये इस उप खंड के अधीन फीस विभिन्न दरों पर विहित की जा सकती है।

(2) फीस या प्रतिफल निश्चित करने की रीति में नीलाम या टेंडर आमंत्रित करना या दोनों सम्मिलित होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

3—मूल अधिनियम की धारा 40 में—

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड जोड़ दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यह समझा जायगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, द्वारा बनायी गई उत्तर प्रदेश सरचार्ज शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन नियमावली, 1968, जैसा कि वह समय-समय पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा संशोधित की गयी है, जब तक कि राज्य सरकार इस धारा के अधीन उसका परिवर्तन, निरसन या संशोधन न करें, उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी है और सर्वदा रही है, मानो उक्त नियमावली राज्य सरकार के द्वारा इस धारा के अधीन विधिवत् बनायी गयी हो;"

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के लिए रीति और ऐसे अपील और पुनरीक्षण के निस्तारण की प्रक्रिया विहित करना;"

वैधीकरण

4—किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 के किसी उपबन्ध के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य और की गयी या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य समझी जायगी और सदैव से विधिमान्य होगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और विवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियम और वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, यह समझा जायगा कि उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन जो कार्य किया गया है या कार्यवाही की गयी है, वह इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया है या की गयी है, मानों यह अधिनियम 28 फरवरी, 1976 को प्रवृत्त हो गया था।

खण्ड 3,4,5, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) पुनः (अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 को पुनः अधिनियमित और विधिमान्य करने के लिए

विधेयक

चूंकि लोकहित में यह समीचीन है कि देशी शराब के सम्बन्ध में लाइसेंस दिये जाने की विद्यमान प्रणाली को विदेशी शराब के सम्बन्ध में लाइसेन्स देने के लिये आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकार करने की व्यवस्था की जाय;

और चूंकि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13, 1972) को, जिसे उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1972) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिवपत राय और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में दिये गये अपने निर्णय में, जो 1972 इलाहाबाद लाजर्नल रिपोर्ट्स 1,000 में संप्रकाशित है, राज्य विधान मण्डल की सक्षमता के बाहर निर्णीत किया था;

और चूंकि बाद में नसिरवर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, जो आल इण्डिया रिपोर्टर, 1975, सुप्रीम कोर्ट 360 में संप्रकाशित है, उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य विधान मण्डल की विदेशी शराब रखने और बेचने का अधिकार या विशेषाधिकार देने के लिये सार्वजनिक नीलाम करने के लिये उपबन्ध बनाने की शक्ति है;

और चूंकि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1972) को निरसित और पुनः अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीनकरण) अधिनियम, 1976 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

श्री अध्यक्ष----

प्रश्न यह है कि खण्ड 3, 4, 5, खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह----

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 जैसाकि संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्मबीर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री दीप नारायण पांडेय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, इस संबंध में मेरा एक सुझाव है। यह विधेयक सरकार द्वारा इसलिये लाया गया है कि हमारे प्रदेश के जो शासकीय और अर्द्ध-शासकीय कर्मचारियों की शिकायतें बहुत बड़ी संख्या में इस समय न्यायालयों में विचाराधीन हैं और इस कारण से उनका फैसला सयय पर नहीं हो पाता है। जिससे दोनों समय और धन का अपव्यय होता है, उनका शीघ्रता से निपटारा हो सके इसके लिये यह विधेयक लाया गया है ताकि उन शिकायतों पर विचार करके प्रार्थियों को न्याय दिलाया जा सके। इसकी इस प्रदेश वालों ने ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेश की सरकारों ने भी तारीफ की है और इसकी एक प्रतिलिपि मांगी है। केंद्रीय सरकार भी इसी पैटर्न पर एक विधेयक लाकर एक न्याधिकरण स्थापित करने की सोच रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसका हमें स्वागत करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 8 तक

2--इस अधिनियम में-- परिभाषाएं

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य 24 नवम्बर, 1975 से है; सं0 प्रा0 अधिनियम संख्या 28, 1947

(ख) "लोक सेवक" का तात्पर्य प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से है, जो--

(1) राज्य सरकार का सेवक या वेतनभोगी हो या राज्य सरकार से किसी लोक कर्त्तव्य के प्रयोजनार्थ फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो; या

(2) किसी स्थानीय प्राधिकारी का या राज्य सरकार के (जिसमें विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं है) स्वामित्व या नियंत्रण के किसी निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा पारिभाषित कम्पनी या कोई स्थानीय प्राधिकारी न हो) का, या (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा पारिभाषित) किसी कम्पनी का, अधिनियम संख्या 1, 1956

जिसमें समादत्त अंश पूंजी का 50 प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, सेवक या वेतनभोगी हो ;

(ग) "अधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित किसी राज्य लोक सेवा अधिकरण से है ।

अधिकरण का गठन

3—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा दो या अधिक अधिकरण गठित कर सकती है जिनमें से प्रत्येक राज्य लोक सेवा अधिकरण कहलायेगा।

(2) प्रत्येक अधिकरण में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासकीय सदस्य होगा ।

(3) न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है या होने के लिए अर्ह है, और प्रशासकीय सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी मण्डल के आयुक्त के पद, या उसके समकक्ष किसी पद, पर आसीन हो या रह चुका हो ।

(4) सदस्यों में से एक को राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नामांकित करेगी:

परन्तु यदि न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, तो वह ही अध्यक्ष होगा ।

(5) कोई व्यक्ति अधिकरण के सदस्य के रूप में न तो नियुक्त किया जायेगा और न पद पर बना रहेगा यदि उसने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की स्थिति में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और किसी अन्य स्थिति में इकसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ।

(6) राज्य सरकार किसी मामले को एक अधिकरण से दूसरे को अन्तरित कर सकती है, और यदि किसी मामले में अधिकरण के दोनों सदस्यों में सहमति न हो तो राज्य सरकार उस मामले को किसी दूसरे अधिकरण को अन्तरित करेगी ।

(7) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, क्षेत्र का निर्देश या मामलों के वर्गों का निर्देश करते हुए प्रत्येक अधिकरण की अधिकारिता, समय-समय पर निर्धारित कर सकती है, किन्तु किसी ऐसे आदेश से उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अधिकरण को दावा निर्दिष्ट करना

4—यदि कोई व्यक्ति जो लोक सेवक है या रहा है, यह दावा करता है कि लोक सेवक के रूप में सेवायोजन से सम्बन्धित किसी मामले में उसके सेवायोजक ने या सेवायोजक के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी ने उसके साथ इस प्रकार व्यवहार किया है जो किसी करार के, या

(क) किसी सरकारी सेवक की स्थिति में, संविधान के अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के या संविधान के अनुच्छेद 309 या अनुच्छेद 313 के अधीन प्रभावी किसी नियम या विधि के,

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी या संविधिक निगम के सेवक की स्थिति में, संविधान के अनुच्छेद 16 के या ऐसे प्राधिकारी या निगम को गठित करने वाले विधान मंडल के किसी अधिनियम के अधीन प्रभावी किसी नियम या विनियम के,

अनुरूप नहीं है, तो वह उस दावे का निर्देश अधिकरण को करेगा, और उस पर अधिकरण का विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा :

परन्तु अधिकरण सामान्यतया कोई निर्देश ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि दावेदार अपने ऊपर लागू नियमों के अधीन सभी विभागीय उपचारों का आश्रय न ले चुका हो ।

स्पष्टीकरण:—इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ दावेदार से (किसी सरकारी सेवक की स्थिति में) यह अपेक्षा करना आवश्यक न होगा कि वह अधिकरण को अपना दावा निर्देशित करने के पूर्व राज्यपाल को मेमोरियल देने के उपचार का आश्रय भी ले ।

अधिकरण की शक्ति और प्रक्रिया

5—(1) (क) अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में दिये गये साक्ष्य नियमों से बाध्य नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा, और इस धारा के उपबन्धों और धारा 7 के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अधिकरण को अपनी प्रक्रिया (जिसमें अपनी बैठक का स्थान और समय नियत करना और यह विनिश्चित करना भी सम्मिलित है कि बैठक सार्वजनिक या असार्वजनिक तौर पर की जाय) विनियमित करने की शक्ति होगी । अधिनियम संख्या 5, 1908 अधिनियम संख्या 1, 1872

(ख) धारा 4 के अधीन सभी निर्देशों पर परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध लागू होंगे, मानों निर्देश सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया कोई वाद या आवेदन हो : अनिनियम संख्या 36, 1963

परन्तु यदि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने धारा 4 में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में नियत दिनांक से पूर्व डिक्री पारित किया हो या किसी वाद या अपील की पैरवी के अभाव में खारिज करने का आदेश पारित किया हो, और वह डिक्री या आदेश अंतिम न हुआ हो तो ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से व्यथित कोई लोक सेवक या उसका सेवायोजक नियत दिनांक से साठ दिन के भीतर अधिकरण को निर्देश कर सकता है, और अधिकरण ऐसी डिक्री का पुष्टीकरण, परिष्कार या अपाकरण कर सकता है (किन्तु मामला किसी ऐसे न्यायालय को प्रतिप्रेषित नहीं कर सकता), और अधिकरण का ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) अधिकरण प्रत्येक निर्देश को यथाशीघ्र विनिश्चित करेगा और साधारणतया प्रत्येक मामला दस्तावेजों और अभ्यावेदनों के परिशीलन और मौखिक बहस, यदि कोई हो, के आधार पर विनिश्चित किया जायगा ।

(3) अधिकरण साक्ष्य में, किसी मूल दस्तावेज के बदले, किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित उसकी प्रतिलिपि ग्रहण कर सकता है ।

(4) अधिकरण साधारणतया मौखिक साक्ष्य पेश करने को न कहेगा और न अनुज्ञा देगा, और यदि आवश्यक हो, किसी पक्षकार से शपथ-पत्र दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है ।

अधिनियम संख्या 5, 1908

(5) अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजनार्थ उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित

बातों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अभियाचना करना; अधिनियम संख्या 1, 1872

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) विधिपूर्ण करार, समझौता या तुष्टि को अभिलिखित करना और तदनुसार आदेश देना;

(छ) अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करना;

(ज) व्यतिक्रम के लिये कोई निर्देश खारिज करना या उस पर एक-पक्षीय विनिश्चय देना;

(झ) व्यतिक्रम के लिए खारिज किये गये किसी आदेश या अपने द्वारा दिये गये एक पक्षीय आदेश को अपास्त करना;

(ञ) किसी निर्देश पर अंतिम विनिश्चय होने तक, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, अन्तर्वर्ती आदेश देना;

(ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

(6) अधिकरण द्वारा की गई कोई घोषणा दावेदार और उसके सेवायोजक पर और किसी ऐसे अन्य लोक सेवक पर बन्धनकारी होगी जिसे दावा के संबंध में जिससे उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, उसके विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया हो, और उसका किसी विधि न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के समान प्रभाव होगा ।

(7) यदि अधिकरण दावेदार के पक्ष में और उसके सेवायोजक या किसी अन्य लोक सेवक के विरुद्ध कोई अन्य आदेश दें, और ऐसे आदेश का अनुपालन तीन मास की अवधि में न किया जाय ,तो उसके आवेदन पर अधिकरण अपने द्वारा निर्णीत राशि की वसूली के लिये या अनुदत्त अन्य अनुतोष के लिये प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है और जिस व्यक्ति के पक्ष में ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया जाय वह अधिकरण के आदेश का निष्पादन करने के लिये ,उत्तर प्रदेश में स्थित मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह ऐसे सेवायोजक के पास तत्समय कार्य कर रहा हो या अन्तिम बार कार्य किया हो, आवेदन कर सकता है, और ऐसा न्यायालय तदुपरान्त प्रमाण-पत्र का उसी रीति से और उसी प्रक्रिया के अनुसार निष्पादन करेगा या करायेगा मानो वह किसी वाद में उसके द्वारा समान अनुतोष के लिये दी गई डिक्री हो।

(8) (क) सेवायोजक अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिये कोई लोकसेवक या विधि व्यवसायी नियुक्त कर सकता है जो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहलायेगा।

(ख) लोकसेवक अपनी ओर से अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य लोकसेवक की सहायता ले सकता है, किन्तु इस प्रयोजनार्थ कोई विधि व्यवसायी केवल उस दशा में रख सकेगा जबकि या तो (1) सेवायोजक द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधि व्यवसायी हो, या (2) अधिकरण, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा दे।

अधिनियम संख्या 45, 1860

(9) अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा।

(10) किसी निर्देश पर किसी निर्देश के उत्तर पर या किसी आवेदन-पत्र पर या तो नियुक्ति प्राधिकारी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या जहां नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हों वहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उपसचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी द्वारा और किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या कम्पनी की स्थिति में, उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा, यथास्थिति, हस्ताक्षर किया जा सकता है।

वाद पर रोक

6—(1) किसी व्यक्ति के, जिसके अन्तर्गत धारा 1 की उपधारा (4) के खंड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट वर्गों के व्यक्ति भी है, अनुरोध पर जो लोकसेवक है या रह चुका है, सेवायोजन से सम्बन्धित किसी बात के सम्बन्ध में किसी अनुतोष के लिये कोई वाद राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी संविधिक निगम या कम्पनी के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगा।

अधिनियय संख्या 5, 1908

(2) नियत दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायलय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समान अनुतोष के लिये सभी वाद, और ऐसे वादों से प्रोदभूत होने वाली सभी अपील, पुनरीक्षण पुनर्विलोकन के लिये आवेदन-पत्र और अन्य अनुषंगी या सहायक कार्यवाहियां (जिसके अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 39 के अधीन सभी कार्यवाहियां भी है), और अकिंचन के रूप में समान अनुतोष के लिये वाद या अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा के लिये सभी आवेदन पत्र और उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अन्तर्वर्ती आदेशों से प्रोदभूत होने वाले सभी पुनरीक्षण उपशमित हो जायेंगे और उनके अभिलेख ऐसे अधिकरण को अन्तरित कर दिये जायेंगे, जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, और तदुपरान्त अधिकरण उन मामलों पर उसी रीति से विनिश्चय देगा मानों व धारा 4 के अधीन उसे निर्दिष्ट दावे हो :

परन्तु अधिकरण, धारा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसी प्रक्रम से कार्यवाही फिर से प्रारम्भ करेगा, जिस पर मामला उपर्युक्त प्रकार से उपशमित किया गया था और न्यायालय में प्रस्तुत अभिवचन या पेश किए गये किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पर कार्यवाही करेगा मानों वह अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत या पेश किए गये थे।

(3) नियत दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायलय के समक्ष ऐसे वादों से प्रोद्भूत होने वाली विचाराधीन सभी अपीलों की सुनवाई और निस्तारण उस न्यायलय द्वारा पूर्ववत् किया जायगा मानो यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो :

परन्तु यदि उच्च न्यायलय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 के नियम 23 या नियम 25 के अधीन मामला प्रति प्रेषित या प्रतिनिर्देशित करना आवश्यक समझे तो प्रतिप्रेषण या निर्देश का आदेश सम्बद्ध अधीनस्थ न्यायालय के बजाय ऐसे अधिकरण को सम्बोधित होगा जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे और तदुपरान्त अधिकरण, उच्च न्यायलय के निदेश के अधीन रहते हुए, मामला या विवाद पर उसी प्रकार विनिश्चय देगा मानों वह धारा 4 के अधीन उसे निर्दिष्ट कोई दावा हो । अधिनियम संख्या 5, 1908

7—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है । नियम बनाने की शक्ति

(2) विशिष्टतः, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) अधिकरण की शक्ति और प्रक्रिया;

(ख) विभिन्न अधिकरणों में कार्य-विभाजन;

(ग) किसी अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के संबंध में दी जाने वाली फीस, और उसका भुगतान करने की रीति;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम में अपर्याप्त उपबन्ध हो और राज्य सरकार उस निमित्त उपबन्ध बनाना आवश्यक या समीचीन समझे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, 1976

8—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन अपवाद और संक्रमण कालीन उपबन्ध

(2) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

(3) इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परन्तुक में उल्लिखित आदेश और इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्रों के संबंध में, जो 1975 के उक्त अध्यादेश के तत्समान उपबन्धों में उल्लिखित न थे, नियत दिनांक के प्रति निर्देश का अर्थ 16 फरवरी, 1976 के प्रति निर्देश से लगाया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

राज्य के समस्त लोक सेवकों के सेवायोजन से सम्बद्ध विषयों के संबंध में विवादों के न्याय निर्णयन के निमित्त अधिकरणों के गठन की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: —

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 24 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

(4) यह धारा और धारा 2 और 6 सभी लोक सेवकों के संबंध में लागू होगी जबकि शेष उपबन्ध लोक सेवकों के निम्नलिखित वर्गों पर लागू न होंगे, अर्थात्—

(क) न्यायिक सेवा के सदस्य ;

(ख) उच्च न्यायालय के अधिकारी या सेवक ;

(ग) राज्य विधान मंडल के किसी सदन के सचिवालय कर्मचारिवर्ग के सदस्य;

(घ) राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारिवर्ग के सदस्य;

अधिनियम संख्या 14, 1947

(ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, सन् 1947 ई0 में परिभाषित कर्मकार (वर्कमैन)।

श्री अध्यक्ष :—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्म वीर :—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पारित, किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, सचमुच में जैसा कि मंत्री जी ने कहा यह बड़ा ही अच्छा विधेयक है। सरकारी कर्मचारियों की अपनी सेवाओं के सम्बध में जो मामले अदालतों में पड़े हुए हैं, उनमें इनको बड़ी परेशानी होती है और समय भी बरबाद होता है। सरकार ने जो इस विधेयक के द्वारा ट्रिब्युनल का गठन किया है, वह वास्तव में बधाई की पात्र है। लेकिन जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिये इसमें कोई प्राविधान नहीं है। सुना है कि केन्द्रीय सरकार भी इसी पैटर्न पर अपने यहां के कर्मचारियों के बारे में एक ट्रिब्युनल के गठन पर विचार कर रही है। जिलों में वीकर सेक्शन के लिए वकीलों की एक लीगल कमटी बना दी है जो गरीबों के केसेज को प्लीड करती है। इसी प्रकार से जन साधारण के लिए, जो

गरीब लोग हैं, अकिंचन हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है और जिनके बहुत से मामले विभिन्न कोर्टस में विचाराधीन हैं, उनके लिये एक इसी प्रकार का ट्रिब्युनल बनाने पर सरकार विचार करके एक और विधेयक लाये।

श्री धर्म वीर—

मान्यवर, मैं माननीय काशी नाथ मिश्र जी के सुझाव का स्वागत करता हू लेकिन पहले आज इस विधेयक को पारित कर दिया जाय। इसके बाद उनके सुझाव पर हम विचार विमर्श करेंगे। इस समय इस विधेयक में इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें आवश्वस्त करता हू कि हम उनके सुझाव पर विचार करगे। मैं इस समय उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष ...

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 की कोई सूचना नहीं है।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
5 अप्रैल, 1976।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर।)

स्वाधीनता रजत जयन्ती (15-8-1972) के अवसर पर जिला जेल, बस्ती में परिरुद्ध बदियों को दिये गये विशेष परिहार की सूची ।

क0स0	बन्दी का नाम	विशेष परिहार जो दिया गया		
		वर्ष	माह	दिन
1	साहबुद्दीन	..	5	11
2	शंकर उर्फ राम शंकर	1	3	5
3	मुहम्मद	1	1	20
4	कयम	–	5	24
5	पालकी	–	11	27
6	कल्लू	–	–	9
7	राम उग्रह	..	–	12
8	चैतू	–	2	26
9	सोनही	–	10	8
10	तुलसी राम	–	..	12
11	हवल्दार	–	2	4
12	हरीराम	–	–	27
13	रामराज	..	10	27
14	लाली मिश्र	–	–	16
15	राम दुलारे	..	..	9
16	दुखरन	–	–	6
17	सिद्धू	..	6	..
18	विश्वनाथ	..	3	..
19	विरजा	..	3	..
20	दशरथ	..	3	..
21	लोटू	..	3	–
22	पंचम	..	3	..
23	इस्माईल	..	..	8
24	बुधिराम	–	1	4
25	लक्ष्मी नरायन	..	11	7
26	पुत्तन	–	–	27
27	इस्लाम	..	2	20
28	जगदम्बा	1	3	..
29	मुन्ना	..	..	17
30	लखन	..	2	6
31	परसाद	–	..	20
32	दुखरन	..	..	6
33	गौवरी	..	2	9
34	पंचदेव	–	3	..
35	दयानाथ	–	..	45

विधान सभा सचिवालय

क्र0सं0	बन्दी का नाम	विशेष परिहार जो दिया गया		
		वर्ष	माह	दिन
36	लक्ष्मी	..	..	45
37	धनुषधारी	..	..	90
38	रामनवल	..	..	45
39	मेधू	..	..	45
40	मकालू	..	..	45
41	गणेश	..	..	45
42	महाबीर	..	..	90
43	बच्चू लाल	..	..	45
44	मेढ़ीलाल	..	..	45
45	बचाने	..	..	45
46	जैसराम	..	..	30
47	नानबच्चा	..	..	45
48	हर नरायन	..	..	30
49	चान्दी प्रसाद	..	..	45
50	फतेह मुहम्मद	..	..	45
51	मनीराम	..	..	30
52	वलाकत	..	..	45
53	भीखू	..	..	30
54	सरवर	..	..	30
55	सफी मुहम्मद	..	..	45
56	मुट्टूर	..	..	45
57	मु0 याकूब	..	..	180
58	सफी मुहम्मद	..	..	90
59	जगदम्बिका	..	..	30
60	हवीब	..	..	90
61	विल्ला	..	..	45
62	नकछेद	..	..	90
63	अलिया	..	..	90

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर ।)

जिला	वर्ष 1975-76 में सितम्बर, 1975 तक खोले गये राजकीय हायर सेकेंड्री स्कूल	
	राजकीय हाई स्कूल	राजकीय इंटर कालेज
1	2	3
1--पिथौरागढ़ ..	3	1
2--चमोली ..	8	--
3--उत्तरकाशी ..	4	2
4--अल्मोड़ा ..	4	--
5--नैनीताल ..	7	--
6--देहरादून ..	1	1
7--टिहरी-गढ़वाल ..	7	3
8--पौड़ी-गढ़वाल ..	5	--
योग ..	39	7

विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 42 पर ।)

प्रश्न	उत्तर
*2--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 27 नवम्बर, 1974 को उत्तर प्रदेश के अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिये कैसरबाग बारादरी, लखनऊ में एक पेंशनर सम्मेलन आयोजित किया था और जिसको मुख्य मंत्री ने सम्बोधित भी किया था तथा तत्पश्चात् संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में 29 नवम्बर, 1974 को वित्त मंत्री से भेंट भी किया था ? यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगे हैं और मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?	यह सही है कि 27 नवम्बर, 1974 को उत्तर प्रदेश के अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारियों ने लखनऊ में एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसे प्राप्त सूचनानुसार, मुख्य मंत्री जी ने सम्बोधित किया था । यह भी सही है कि पेंशनर्स कल्याण संगठन द्वारा प्रकाशित उक्त पेंशनर्स सम्मेलन की एक स्मारिका प्राप्त हुई है । इस स्मारिका में जिन मांगों का उल्लेख है, उनका संक्षिप्त विवरण संलग्न हैं । जहां तक इस मांग का संबंध है कि पेंशन निर्धारण के लिये समुचित आधार निर्धारित किया जाय । कुछ संशोधनात्मक प्रस्ताव वर्ष 1975-76 के आय-व्ययक में शामिल किया गये हैं । इसी प्रकार एक अन्य मांग की दिशा में भी जिसका अभीष्ट पेंशनों की स्वीकृति में बिलम्ब कम करना है, प्रयत्न किये जा रहे हैं कि पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम किया जा सके । जहां तक इस मांग का संबंध है कि पेंशन के राशिकरण के कारण इसमें हुई कटौती तथा ग्रेच्युटी में नई परिवारिक पेंशन योजना के लोगों के परिप्रेक्ष्य में कमी को उस समय पुनः स्थापित कर दिया जाया करे जब संबंधित पेंशनर उस समय से आगे तक जीवित रह जाय जितने समय में उक्त कटौतियों भर की धनराशि पूर्ण हो जाती हो, इसे स्वीकार करने का कोई सैद्धान्तिक औचित्य नहीं है । जहां तक पेंशनर्स तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याण कोष की स्थापना का प्रश्न है, सुझाव की रूप-रेखा स्पष्ट नहीं है । इसी प्रकार निगमों तथा अन्य संस्थानों में पेंशनरों की सेवाओं के उपयोग संबधी मांग से भी शासन का कोई सीधा सबंध नहीं है । शेष 2 मांगों पर अर्थात् पेंशनर्स को रिलीफ तथा चिकित्सा सुविधा देने के संबंध में तत्काल शासन अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस समय आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है ।

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 49 वि0 सभा--1976--(2194)--840 (हन्दी) ।